अप्रैल 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
अनिल माथुर

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

जिला पंचायत दमोह के प्रथम सम्मेलन समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया।

इस अंक में

खास खबरें : मनरेगा के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से — 3
सम्मान : महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह को मिला स्कॉच चैलेंजर अवार्ड — 5
खास खबरें : ग्राम पंचायतों तक लोक सेवा केन्द्रों का विस्तार — 6
संकल्प समारोह : जिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रथम सम्मेलन — 10
पंचायत निर्वाचन : जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हुए निर्वाचित — 14
साक्षात्कार : गाँव का विकास गढ़ेंगी ज्ञानवती सिंह — 30
पहल : ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ा मनरेगा — 31
प्रगति - विकास की सड़क से सामाजिक समरसता — 32
प्रगति - स्वच्छता : सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर समुदाय के ठोस कदम — 34
जल संवर्धन : जल संवर्धन के साथ आजीविका — 36
पर्यावरण : नरवाई को जलाना जैव विविधता पर खतरा — 38
पंचायत : पंचायतों में सुनियोजित श्रम विभाजन — 40
खेती-किसानी : सजीव खेती में पौध पोषण की अवधारणा — 42
पंचायत गजट : निर्विरोध निर्वाचित सरपंच और ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत — 44
अच्छी पहल : ग्रामीण क्षेत्रों से उभरेंगी खेल प्रतिभाएं — 48

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किये जा रहे हैं इस सिलसिले में विगत दिनों मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। इस खबर को हमने 'खास खबरें' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। प्रदेश में महिला सशक्तीकरण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह को स्कॉच चेलेन्जर अवार्ड दिया गया है जिसे 'सम्मान' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवगठित जिला पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों ने जिला पंचायत के सम्मेलन में शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी को 'संकल्प समारोह' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। प्रदेश की सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन सम्पन्न हो गया है। इसकी विस्तृत जानकारी को 'पंचायत निर्वाचन' स्तम्भ में जगह दी गई है। साथ में प्रदेश के नगरीय निकायों में शामिल होने वाली ग्राम पंचायतों की सूची भी प्रकाशित की जा रही है।

इस अंक में प्रदेश की जिला पंचायत उमरिया के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सुश्री ज्ञानवती की सफल गाथा की जानकारी को 'साक्षात्कार' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अब मनरेगा ग्रीन इंडिया मिशन के साथ मिलकर काम करेगा। इसकी जानकारी 'पहल' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता के लिए गांवों में समुदाय आधारित स्वच्छता के लिए जोर दिया जा रहा है। इस जानकारी को हमने 'प्रगति-स्वच्छता' स्तम्भ में प्रकाशित किया है। 'जल संवर्धन' स्तंभ में हमने जल संवर्धन के साथ आजीविका के प्रयासों की जानकारी को प्रकाशित किया है। खेती में फसल करने के बाद बचने वाले अवशेषों (नरवाई) को अक्सर किसानों द्वारा जला दिया जाता है जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है साथ ही साथ भूमि का भी क्षरण होता है। इससे संबंधित जानकारी को 'पर्यावरण' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। और अंत में 'पंचायत गजट' स्तंभ में निर्विरोध निर्वाचित सरपंच और ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत की जानकारी दी जा रही है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

मनरेगा के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से

मध्यप्रदेश में मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किये जा रहे हैं। मनरेगा में जारी वित्तीय वर्ष में 3 हजार 193 करोड़ रुपये के व्यय से 18 लाख 7 हजार 789 कार्य पूरे किये गये हैं। प्रदेश में लागू किये गये इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम को देश के अन्य 28 राज्यों में भी लागू किया गया है। मनरेगा में आँगनवाड़ी भवन, ग्राम संपर्क और खेत सड़क तथा कृषि संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किये जा रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा में जारी वित्तीय वर्ष में 3 हजार 193 करोड़ रुपये के व्यय से 18 लाख 7 हजार 789 कार्य पूरे किये गये हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 25 मार्च को भोपाल में संपन्न रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा की बैठक में दी गयी। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, आदिम-जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह और राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य समय-सीमा में पूरे किये जायें। योजना की सतत् मॉनीटरिंग की जाये। उन्होंने जलाभिषेक अभियान का व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि योजना में प्रत्येक ग्राम का लेबर बजट तैयार किया गया है। प्रदेश में लागू किये गये इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम को देश के अन्य 28 राज्यों में भी लागू किया गया है। मनरेगा में आँगनवाड़ी भवन, ग्राम संपर्क और खेत सड़क तथा कृषि संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, अपर मुख्य सचिव योजना श्रीमती अजिता वाजपेयी पाण्डे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास के लिये उपयोगी बने प्रशिक्षण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपयोगी बनें। इन संस्थानों से जन-प्रतिनिधि और अधिकारी प्रशिक्षण पाकर दक्ष बनें, जिससे आमजन को इसका लाभ मिले। श्री भार्गव ने मंत्रालय में 25 मार्च को महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के शासक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि एसआईआरडी एवं उसके अधीन कार्यरत प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी करवायी जाये। उन्होंने कहा कि नव-निर्वाचित पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाये।

बैठक में एसआईआरडी द्वारा संचालित गतिविधियों से भी अवगत करवाया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, सचिव ग्रामीण विकास श्री संजीव झा, आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव उपस्थित थे।

मैदानी निरीक्षण से ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता कायम

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में गुणवत्ता के लिये निर्माणाधीन सड़कों का सतत् मैदानी निरीक्षण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानक स्तर सुनिश्चित करने के लिये मैदानी स्तर पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तैनात किये हैं। इनके द्वारा ग्रामीण सड़कों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा मैदानी निरीक्षणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और रिपोर्टिंग प्रणाली की सतत् समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण सड़कों की सतत मॉनीटरिंग और बेहतर गुणवत्ता के मकसद से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी समीक्षा में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्य नहीं पाये जाने पर 3 स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को सूची से पृथक कर दिया है। प्रमुख अभियंता श्री एम.के. गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निरीक्षण कार्य को गंभीरता से लिये जाने की वजह से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और बेहतर हुई है।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह को मिला स्कॉच चेलेन्जर अवार्ड

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सम्मान दिलाने और बेटियों को बचाने के लिए श्रीमती माया सिंह ने काफी प्रयास किये। आँगनवाड़ियों को सशक्त बनाने और विभिन्न संस्थाओं के जरिये महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए जो योगदान दिया उससे प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई। तेजस्विनी, लाड़ो अभियान और स्वागतम् लक्ष्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में श्रीमती माया सिंह ने विशेष रुचि ली, जिसके परिणाम भी दिखलाई दिये। ई-लाड़ली और अनमोल वेबसाइट के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका विशेष प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में दिखाई दिया।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह को मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए वर्ष 2015 का स्कॉच चेलेन्जर अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड 21 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने दिया। महिला-बाल विकास मंत्री बनने के बाद मध्यप्रदेश में महिलाओं को सम्मान दिलाने और बेटियों को बचाने के लिए श्रीमती माया सिंह ने काफी प्रयास किये। आँगनवाड़ियों को सशक्त बनाने और विभिन्न संस्थाओं के जरिये महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए जो योगदान दिया उससे प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। तेजस्विनी, लाड़ो अभियान और स्वागतम लक्ष्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में श्रीमती माया सिंह ने विशेष रुचि ली, जिसके परिणाम भी दिखलाई दिये। ई-लाड़ली और अनमोल वेबसाइट के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका विशेष प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में दिखाई दिया।

स्कॉच फाउण्डेशन ग्रुप ने उनके इस प्रयास को वर्ष 2015 में महिला सशक्तीकरण के लिए दिये जाने वाले अवार्ड के सर्वथा योग्य पाया।

मुख्य सचिव श्री डिसा पुरस्कृत

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने 21 मार्च को स्कॉच नेशनल चेलेंजर अवार्ड-2015 से नई दिल्ली में सम्मानित किया। यह अवार्ड लोक सेवाएँ प्रदाय करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिये दिया गया है। पुरस्कार समारोह में मध्यप्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह को महिला सशक्तीकरण के लिये पुरस्कृत किया गया। इस अवार्ड से पूर्व में सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों में श्री सी.बी. भावे, श्री सेम पित्रोदा, सुधा पिल्लई, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, श्री नंदन नीलेकणि, सुश्री चंदा कोचर, श्री चिदंबरम, श्री सी. रंगराजन, श्री दीपक पारेख, श्री वजाहत हबीबुल्लाह शामिल हैं।

मुख्य सचिव श्री डिसा को वर्ष 2013 से मध्यप्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, महिला-बाल कल्याण, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्व-रोजगार, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के कार्यों को प्रशासकीय दक्षता से अंजाम देने के लिये पुरस्कृत किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और लोक सेवा गारंटी योजना में मध्यप्रदेश ने उदाहरण पेश किया है। मुख्य सचिव श्री डिसा ने प्रतिबद्धता, कुशल प्रशासकीय नेतृत्व और नवाचार अपनाते हुए बतौर मुख्य सचिव इन कार्यों का श्रेष्ठ निर्वहन किया है। मध्यप्रदेश ने अन्य राज्यों के लिये विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य ने कई सफल मॉडल प्रस्तुत किये हैं। पुरस्कार समारोह में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस अवसर पर इस पुरस्कार से पूर्व में पुरस्कृत श्री विजय केलकर और श्री एन.के. सिंह भी उपस्थित थे।

ग्राम पंचायतों तक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक सेवाएँ समय-सीमा में सुगमता से पहुँचाने के लिये जिलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। अधिनियम में 22 विभाग की 124 सेवाएँ लोगों को समय-सीमा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें से 68 सेवाएँ ऑनलाइन की जा चुकी हैं। अधिनियम के जरिये अब तक 2 करोड़ 34 लाख लोगों को सेवाएँ प्रदाय की गई हैं।

जन-सामान्य को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देना सुशासन का सशक्त माध्यम है। मध्यप्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर, 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किये जाने से लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला विश्व का प्रथम प्रदेश था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात प्रदेश के जिला-स्तरीय लोक सेवा केन्द्र प्रबंधकों को 19 मार्च को भोपाल में दो-दिवसीय 'प्रबंधक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला' के

क लोक सेवा केन्द्रों का विस्तार

शुभारंभ अवसर पर कही। दो-दिवसीय कार्यशाला राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आयोजित की गई।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक सेवाएँ समय-सीमा में सुगमता से पहुँचाने के लिये जिलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। अधिनियम में 22 विभाग की 124 सेवाएँ लोगों को समय-सीमा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें से 68 सेवाएँ ऑनलाइन की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिनियम के जरिये अब तक 2 करोड़ 34 लाख लोगों को सेवाएँ प्रदाय की गई हैं। इसमें से करीब 81 प्रतिशत निर्धारित सेवाएँ समय-सीमा में दी गई हैं। श्री सिंह ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से अब प्रदेश में पंचायत-स्तर तक लोक सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से जन-सामान्य से प्राप्त 85 प्रतिशत समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सुगमता के साथ लोक सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की पहल की जायेगी।

उन्होंने कहा कि जन-सामान्य को समय-सीमा में तत्परता के साथ लोक सेवाएँ देने में जिला लोक सेवा केन्द्र के प्रबंधकों को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करना होगा।

तीन सौ करोड़ की परियोजना

सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने कहा कि जन-सामान्य को लोक सेवाएँ समय पर मिलें, इसके लिये प्रबंधकों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने बतलाया कि प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों का विस्तार ग्राम पंचायत-स्तर तक करने के लिए विश्व बैंक ने 300 करोड़ की परियोजना मंजूर की है। कार्यशाला को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के श्री अखिलेश अर्गल ने भी संबोधित किया। राज्य लोक सेवा अभिकरण की कार्यपालन संचालक सुश्री स्वाति मीणा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा अभिकरण के संचालक श्री अम्बरीश श्रीवास्तव उपस्थित थे।

किसानों को राहत देने में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे

राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह ने कहा है कि किसानों को राहत देने के मामले में मध्यप्रदेश शासन देश में सबसे आगे है। पिछले दस वर्षों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों के जरिये प्रदेश में प्राकृतिक आपदा राहत के प्रावधानों में से कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि न की गई हो। उन्होंने कहा कि अनेक प्रावधानों में तो दो गुना से लेकर दस गुना तक वृद्धि की गई है। अनेक नयी फसलों के नुकसान को राहत के दायरे में लाया गया।

प्रदेश में पहली बार अरहर और ईसबगोल की फसल को बारहमासी फसल के रूप में मान्य किया गया है। जन-हानि/अंग-हानि के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है। पान-बरेजे आदि की हानि के लिये 25 से 50 प्रतिशत हानि होने पर 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या 400 रुपये प्रति पारी और 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या 625 रुपये प्रति पारी के मान से राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में फसल हानि के मामलों में दी जाने वाली सहायता राशि के मापदण्ड में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। फलदार पेड़ और उन पर लगी फसलें आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान-बरेजे को छोड़कर सभी जगह उगाई जाने वाली फसलें, जिनके अंतर्गत सब्जी की खेती, तरबूज-खरबूज की खेती (डांगरवाड़ी) भी सम्मिलित है, चाहें वह नदी या खेतों के किनारे हो। इनकी हानि के लिये दी जाने वाली अनुदान सहायता में कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार कृषक की श्रेणी में लघु एवं सीमांत कृषक को जीरो हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार को 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर वर्षा आधारित फसल के लिये 3500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिये 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी बोवाई एवं रोपाई से 6 माह से अधिक कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से राहत दिये जाने का प्रावधान है। पचास प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर वर्षा आधारित फसल के लिये 5500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिये 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमाही बोवाई-रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त या प्रभावित फसल के लिये 9500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। बारहमासी (पेरेनियल) बोवाई-रोपाई से 6

माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर फसल के लिये 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सब्जी की खेती के लिये 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हानि पर बारहमाही बोवाई, रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के लिये क्षतिग्रस्त/प्रभावित फसल के लिये 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सब्जी की खेती के लिये 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सेरी कल्चर, ऐरी, शहतूत और टसर फसल के लिये 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूंग के लिये 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जायेगी।

लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक खातेदार को 25 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर वर्षा आधारित फसल के लिये 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित फसल के लिये 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी बोवाई व रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त अथवा प्रभावित होने पर फसल के लिये 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी बोवाई तथा रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त होने पर 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सब्जी की खेती के लिये 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।

प्रदेश में इसी प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि में लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार को वर्षा आधारित फसल के लिये 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिये 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त या प्रभावित होने पर 9500 रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी बोवाई-रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर फसल के लिये 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और सब्जी की खेती के लिये 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान-बरेजे आदि की हानि के लिये फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलों में 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर 300 रुपये प्रति पेड़ और संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों पर 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर, पान-बरेजे आदि की हानि के लिये 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या 450 रुपये प्रति पारी के मान से अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है। पचास प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर 400 रुपये प्रति पेड़, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों पर 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर, पान-बरेजे आदि की हानि के लिये 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर 28 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या 700 रुपये प्रति पारी के मान से आर्थिक अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन कर पशु-हानि के मामले में राहत राशि की संगणना के अनुसार एक प्रभावित परिवार को अधिकतम एक बड़े दुधारु पशु के लिये या चार छोटे दुधारु पशुओं के लिये या एक बड़े शुष्क (ड्राट) या दो छोटे शुष्क पशु के लिये सहायता राशि दी जा रही है।

इसी तरह भू-स्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमांत या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर ऐसे प्रभावित कृषक को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि देय है।

नष्ट हुए मकान के लिये अधिकतम 35 हजार रुपये के स्थान पर अधिकतम 70 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। कच्चे मकान के लिये वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न क्षति के लिये 2000 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

जिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रथम सम्मेलन

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रथम सम्मेलन, संकल्प समारोह में 26 मार्च को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा जिले के विकास के लिए जिला पंचायतें कारगर कदम उठायें। अब जिले में अच्छी सड़कें हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि दमोह जिले में अगले दो वर्षों में हर गांव और पंचायत निर्मल हो जायें ऐसी कार्य योजना बनाकर कार्य करें। इस हेतु राशि की कमी नहीं होने दी जायेगी। श्री भार्गव ने कहा कि जिला पंचायत के प्रतिनिधि दमोह को स्वच्छ जिला बनाने की दिशा में संकल्पित होकर काम करें ताकि दमोह जिला मध्यप्रदेश का पहला स्वच्छ जिला घोषित हो। जिले में सड़कों का जाल गांव-गांव तक बिछ गया है। जिन गांव में, मोहल्ले और टोले में सड़कें नहीं हैं वहां भी आने वाले दिनों में सड़कें बन जायेंगी और वहां के निवासियों को वर्षा के दिनों में कीचड़ से मुक्ति मिल जायेगी।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आवासहीनों का सर्वे कराया जाये और प्रमाणिक सूची तैयार की जाये ताकि पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि मेरा एक सपना था, जुझार घाट से राजनगर में पानी आये और दमोह के पानी की समस्या हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाये वह दिन आ गया है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए सरकार काम कर रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश के साथ ही जिले में भी कई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं और नई परियोजनाएं ली जा रही हैं।

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि जिला पंचायत जिले के विकास की योजनाएं बनाये उनके साथ प्रदेश सरकार है। श्री मलैया ने कहा जितना पानी उतना दाम की तर्ज पर पानी जनता को मिलेगा इस हेतु शहर में अलग-अलग स्थानों पर वॉटर सप्लाई हेतु 8 टंकियां बनाई जायेंगी इन टंकियों का काम भी तेजी से कराया जायेगा।

सम्मेलन में विधायक लखन पटैल, विधायक श्रीमती उमादेवी खटीक, सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गुरु, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, पूर्व मंत्री दशरथ सिंह लोधी, पूर्व विधायक विजय सिंह सहित नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण मौजूद थे।

● रचना तिवारी

जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास की धुरी

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ग्रहण

जिला पंचायत खण्डवा के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों का प्रथम सम्मिलन व शपथ समारोह 26 मार्च को आयोजित किया गया। इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता कर रहे सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को शुभकामना देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र के विकास की धुरी होता है एवं उसे बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र का समग्र विकास करना चाहिए। श्री चौहान ने जनप्रतिनिधियों को सेना के सैनिकों की तरह कर्तव्यपरायणता से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनके द्वारा सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों की घोषणा भी की गई। नवीन सदस्यों के रूप में श्रीमती प्रमिला राजेश पटेल, श्री सुरजपाल सिंह, श्री हाजीहसन पटेल के साथ-साथ एनजीओ के प्रतिनिधि के रूप में दिलीप राठौर को नामांकित किया गया। उद्‌बोधन के दौरान श्री चौहान ने मनरेगा योजना को ग्रामीण विकास की प्रमुख योजना बताते हुए कहा कि केन्द्र शासन जल्द ही मनरेगा में नवीन प्रावधान करते हुए 60:40 के स्थान पर 40:60 का प्रावधान करने वाली है। जिसके बाद मजदूरी पर 40 प्रतिशत राशि तथा सामग्री पर 60 प्रतिशत राशि का व्यय किया जा सकेगा। जिसके लाभ स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली संरचनाएं अधिक उपयोगी व जनहितकारी हो सकेंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुंवर विजय शाह, मंत्री नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की सुचारु व्यवस्था हेतु सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने वर्तमान में हुए फसल नुकसान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री व शासन की संवेदनशीलता से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की फसल का नुकसान अधिक हुआ है उन्हें 1 रुपये की दर से अतिरिक्त अनाज शासन के द्वारा दिया जावेगा। कार्यक्रम को जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह तोमर द्वारा भी संबोधित किया गया।

श्री तोमर ने कहा कि जिला पंचायत की नवीन परिषद् में अनुभवी लोग निर्वाचित होकर आये हैं जो ग्रामीण विकास के नवीन कार्यों को संपादित करेंगे।

श्री तोमर द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान सहयोग प्रदान करने के लिये समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार भी माना गया। कार्यक्रम में श्री सुभाष कोठारी महापौर नगरपालिक निगम खण्डवा, श्री देवेन्द्र वर्मा विधायक खण्डवा, श्री लोकेन्द्रसिंह तोमर विधायक मान्धाता, श्रीमती योगिता बोरकर विधायक पंधाना व श्री हुकुमचंद यादव अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खण्डवा उपस्थित रहे।

● अभिषेक तिवारी

पंचायत पदाधिकारी विकास के नये कीर्तिमान रचें

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह ने 26 मार्च को जिला पंचायत होशंगाबाद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सबको मिलकर जिले के चहुँमुखी विकास के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करना है। जिला पंचायत के नव निर्वाचित पदाधिकारी पूरी लगन, मेहनत, निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर मतदाताओं से किये वायदों पर खरे उतरें। सम्मेलन में श्री सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपने पंचायत क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास, अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को पूर्ण श्रद्धा और ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ दिलाई।

प्रथम सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह ने कहा कि जिले के चहुँमुखी विकास में कहीं कोई कमी आड़े नहीं आएगी। सभी को कंधे से कंधा मिलाकर विकास के नये कीर्तिमान को स्थापित करने में पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता की समस्याओं उनके हितों को सर्वोपरि रखना होगा। हर गरीब तबके और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को कल्याणकारी योजना का लाभ मिले। सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो हमारी पहली जिम्मेदारी होगी।

सम्मेलन में क्षेत्र के सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आप सबको विकास के लिए कार्य करने का अद्वितीय अवसर मिला है। आप सब अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हुए जनता के हित के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। साथ ही नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के साथ-साथ उनकी बेहतर मानीटरिंग की जा सकती है। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों से कहा कि वे जनता से सीधे संवाद करें और जमीनी स्तर पर नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि परिणाम की परवाह किये बिना जनता के हित में कार्य करते रहें। इस अवसर पर जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुशल पटेल ने कहा कि मैं सभी सदस्यों के साथ मिलकर सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से कार्य करूँगा। अंतिम छोर के व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करना होगा। शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन से ही पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जनता से जीवंत संपर्क स्थापित करें।

कार्यक्रम में सांसद श्री उदयप्रताप सिंह, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल, नवनिर्वाचित जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती कविता शंभू सिंह भाटी, पूर्व मंत्री श्री मधुकर राव हर्णे, पूर्व विधायक श्री हरीशंकर जायसवाल, जिला अंत्योदय समिति के उपाध्यक्ष श्री संपत मूदड़ा सहित सभी नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष तथा उनके पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में पंचायतों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

● संजय यादव

जिला छिन्दवाड़ा

नवनिर्वाचित सदस्यों ने लिया विकास का संकल्प

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अंतर्गत जिला पंचायत छिंदवाड़ा के प्रथम सम्मिलन का आयोजन 26 मार्च को जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया। सम्मिलन में नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्वी सुन्द्रियाल, जिला पंचायत सदस्यगण, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा जिला पंचायत परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तत्पश्चात राष्ट्रगान एवं मध्यप्रदेश गान का गायन किया गया। इसके पश्चात जिला पंचायत सभाकक्ष में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सामूहिक रूप से संकल्प दिलाया गया। वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य श्री चिंतामन पराड़कर द्वारा सभी को संकल्प दिलाया गया। संकल्प के पश्चात नवनिर्वाचित सदस्यों एवं जिला अधिकारियों का परिचय कार्यक्रम हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्वी सुन्द्रियाल ने जिला पंचायत द्वारा नवाचार रूपी कराए गए कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिले में 66 आदर्श आंगनवाड़ी केन्द स्थापित किए गए हैं, जहां नई तकनीक से बच्चों का ज्ञानअर्जन कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र में शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र प्रारंभ कराया गया है जहां 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चों का उपचार किया जाता है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे भी अपने क्षेत्र के ऐसे बच्चों का यहां उपचार कराएं। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को स्थानीय पटेल मंगल भवन में निःशक्तजनों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जा रहा है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि अपना सहयोग और योगदान दें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर ने प्रथम सम्मिलन के अवसर पर सभी को बधाई दी तथा विकास पर जोर देने की बात कही।

● **मनोज बारस्कर**

जिला राजगढ़ पंचायत का प्रथम सम्मिलन आयोजित

नवगठित जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन का आयोजन जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश शासन के माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री श्री शरद जैन की उपस्थिति में जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर सहित नवगठित जिला पंचायत परिषद के 9 सदस्यों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक श्री अमरसिंह यादव, श्री हजारीलाल दांगी, श्री नारायणसिंह पंवार एवं श्री कुंवर जी कोठार, अपर कलेक्टर श्री अमरपाल सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संतोष वर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

● **अखिलेश द्विवेदी**

जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हुए निर्वाचित

प्रदेश की 50 जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। जिला पंचायत अनूपपुर का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने से निर्वाचन संपन्न नहीं हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं-

क्र.	जिला	अध्यक्ष का नाम	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष का नाम	मोबाइल न.
1	श्योपुर	कविता मीणा	9425128064	सीमा	-
2	मुरैना	श्रीमती गीता देवी हर्षाना	-	श्री मानवेन्द्र सिंह गाँधी	-
3	भिण्ड	श्री रामनारायण हिण्डोलिया पुत्र श्री रामगोविन्द	9425115907	श्री महाराज सिंह पुत्र श्री माधव सिंह	997733302
4	ग्वालियर	श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह	9713696121	श्री शांति शरण गौतम	9755012888
5	दतिया	श्रीमती रजनी	7697364554	विनय यादव	9425337909
6	शिवपुरी	कमला बाई/ बैजनाथ सिंह यादव	9425764906	खेमराज आदिवासी (सनोरिया)/ जालिम सिंह	9725134636
7	गुना	श्रीमती अर्चना बाई चौहान	8359054333	के.पी. बागड़ी	9826380438
8	अशोकनगर	बाई सहाब यादव	9425131971	श्री इमरतसिंह रघुवंशी	9754990877
9	सागर	दिव्या अशोक सिंह	9697011444	तृप्ती पति बाबूसिंह	9179155755
10	टीकमगढ़	पर्वत लाल अहिरवार	9617576721	दिग्विजय सिंह गौर	8719881111
11	छतरपुर	श्री राजेश प्रजापति	9826195091	श्री अमित पटैरिया	9826243346
12	दमोह	शिवचरण/कुंजीलाल पटैल	9425405718	श्रीमती रामबाई/गोविद सिंह	7898925030
13	पन्ना	रविराज सिंह यादव	9425167400	माधवेन्द्र सिंह	9425166805
14	सतना	सुधा सिंह	7898179405	श्रीमती रश्मि सिंह	7693042006
15	रीवा	श्री अभय कुमार मिश्रा	9425007720	श्रीमती विभा उमाशंकर पटेल	9039311170
16	सीधी	श्री अभ्युदय सिंह (राजा भैया)	9755085411	श्री राजमणि साहू	8120246874
17	सिंगरोली	अजय कुमार पाठक	9893827036	डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह	9179258811
18	शहडोल	नारेन्द्र सिंह मरावी	9826595075	श्रीमती पूर्णिमा तिवारी	9425010814
19	उमरिया	सुश्री ज्ञानवती सिंह	9425465035	श्रीमती सीमा दिवाकर सिंह	8085124747
20	कटनी	ममता रंगलाल पटेल	9630046941	श्री अशोक विश्वकर्मा	9165517887
21	जबलपुर	श्रीमती मनोरमा पटेल	9977002930	माँगीलाल मरावी	-
22	डिण्डौरी	श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वे	9425014722	श्री गंगासिंह पटटा	9752739638
23	मण्डला	श्रीमती सम्पतिया उईके	9425163919	श्री शैलेश मिश्रा	9425165028

क्र.	जिला	अध्यक्ष का नाम	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष का नाम	मोबाइल न.
24	बालाघाट	श्रीमती रेखा बिसेन	9425030264	श्रीमती अनुपमा नेताम	9425436776
25	सिवनी	श्रीमती मीना बिसेन	9098301125	चन्द्रशेखर जयंत चतुर्वेदी "चन्दू भैया"	8120641655
26	नरसिंहपुर	श्री संदीप पटैल	9425469402	श्रीमती शीला देवी ठाकुर	9425160017
27	छिन्दवाड़ा	कांता ठाकुर	9424379849	शैलेन्द्र रघुवंशी	9893108624
28	बैतूल	श्री मंगलसिंग धुर्वे	9098094228	श्री नरेश फाटे	9425002087
29	हरदा	श्रीमती कोमल पटेल	9669140785	श्री मनीष निशोद	9754146856
30	होशंगाबाद	श्री कुशल कुमार 'लाला' पटेल	9752222459	श्रीमती कविता शम्भूसिंह भाटी	9425476023
31	रायसेन	अनीता डॉ. जयप्रकाश किरार	9893057797	ज्ञानवती	9993572975
32	विदिशा	तोरण सिंह दांगी	9425641857	श्रीमती गुड्डी बाई	-
33	भोपाल	श्री मनमोहन नागर	-	श्रीमती रेखा राजपूत	-
34	सीहोर	श्रीमती उर्मिला मरेठा	9617140583	श्री मोहन चेयरमेन	9754136227
35	राजगढ़	श्रीमती गायत्री बाई जसवंत गुर्जर	9993041334	निस्पत खॉ	9893336387
36	आगर-मालवा	कलाबाई परवतलाल	9770354420	देवकरण शिवनारायण	9826319085
37	शाजापुर	कलाबाई कुंडला	9893342015	समन	9826372641
38	देवास	श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत	9425048635	श्री दौलत तवर	9977712340
39	बुरहानपुर	श्रीमती गायत्री राजाराम पाटीदार	9926945220	श्री अश्विनी शिवहरे	9425124608
40	खरगौन	श्रीमती कमला पति केदार डाबर	-	डॉ. हरेसिंह पिता मंशाराम (गुर्जर)	-
41	बड़वानी	लतादेवी पति ग्यारसीलाल	9425449446	रमेशचंद मांगीलाल	9425032457
42	खण्डवा	श्रीमती हसीना बाई		देवीकिशन चौधरी	
43	अलीराजपुर	अनिता नागरसिंह चौहान	9425943100	कला बाबू भूरिया	9893946279
44	झाबुआ	कलावती भूरिया	9425070504	कुँवर चंद्रवीरसिंह (लाला)	9425104232
45	धार	श्रीमती मालती पति मोहन पटेल	9424800446	श्री कल्याण पटेल पिता राम सिंह	9826500318
46	इंदौर	सुश्री कविता भेरूलाल पाटीदार	9425059950	श्री गोपाल सिंह घासीरामजी चौधरी	9424859888
47	उज्जैन	श्री महेश परमार	9826047177	श्री भरत पोरवाल	9669223588
48	रतलाम	प्रमेश मईडा	8435114737	डी.पी. धाकड़	9165651000
49	मंदसौर	श्रीमती प्रियंका गोस्वामी	9893284389	श्री गुणवन्त पाटीदार	9644675502
50	नीमच	श्रीमती अवंतिका जाट	9977709577	श्री बद्रीलाल पटेल	9424853529

राजेश पाण्डेय

चयनित जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जानकारी

			अध्यक्ष की जानकारी			उपाध्यक्ष की जानकारी		
स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
1	श्योपुर	श्योपुर	श्री दीनदयाल मीणा	पुरुष	7898443047	सुमित्रा दारा सिंह बंजारा	पुरुष	9893939385
2	श्योपुर	विजयपुर	श्रीमती उर्मिला	महिला	9926259377	श्री भरत सिंह	पुरुष	-
3	श्योपुर	कराहल	श्रीमती रामदासी	महिला	8965058239	श्रीमती कल्पना देवी	महिला	9893760712
4	मुरैना	मुरैना	श्रीमती मुन्नी देवी	महिला	-	श्री बबलू	पुरुष	-
5	मुरैना	अम्बाह	रामसिंह उर्फ रामू सिंह तोमर	पुरुष	9926746315	सुमनलता छारी	महिला	9926265226
6	मुरैना	पोरसा	श्री प्रेम सिंह	पुरुष	9754868963	श्री मोहन सिंह	पुरुष	9826222887
7	मुरैना	केलारस	सोहनलाल धाकड़	पुरुष	8224988716	ओमवती कुशवाह	महिला	9713344751
8	मुरैना	पहाड़गढ़	श्रीमती लीलावती त्यागी	महिला	9009601311	डॉ. देव सिंह कुशवाह	पुरुष	7772917227
9	मुरैना	जौरा	गुड्डी जाटव	महिला	9617159800	गुड्डी जगमोहन	महिला	9977032912
10	मुरैना	सबलगढ़	श्रीमती कमला पत्नी रामनाथ रावत	महिला	-	श्री राजेन्द्र सिंह जादौन	पुरुष	-
11	भिण्ड	महगांव	श्री सुनील सिंह	पुरुष	8959344444	श्री अभिलाखसिंह नरवरिया	पुरुष	7354441448
12	भिण्ड	गोहद	श्रीमती प्रवेश देवी पत्नी अशोक सिंह	महिला	9826265740	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अरुण कुमार सिंह	महिला	7415285025
13	भिण्ड	अटेर	श्री सोमराज सिंह दुलारे सिंह	पुरुष	9826954443	श्री देवेन्द्र सिंह कप्तान सिंह	पुरुष	9826226307
14	भिण्ड	भिण्ड	संजू गजराज सिंह	महिला	8889530330	शिवनारायण कप्तान सिंह	पुरुष	9977621626
15	भिण्ड	रोन	श्रीमती ऊषा देवी	महिला	9826466302	रामसेवक दोहरे	पुरुष	9617293150
16	भिण्ड	लहार	उर्मिला	महिला	9425112645	रानीदेवी यादव	महिला	8120323261
17	ग्वालियर	मुरार	श्रीमती कमला बाई पत्नी बाबू सिंह गुर्जर	महिला	9009186051	श्रीमती मंजू/धर्मेन्द्र बघेल	महिला	8878555629
18	ग्वालियर	भितरवार	शकुन्तला/राकेश कुमार	महिला	9926177922	अनीता मोती सिंह रावत	महिला	9826456178
19	ग्वालियर	घाटीगांव	देवकुंवरबाई	महिला	9754732678	जितेन्द्र सिंह यादव	पुरुष	9669650707
20	ग्वालियर	डबरा	श्रीमती सीमा परिहार	महिला	9165354550	श्रीमती सुनीता मुदगल	महिला	9926586409
21	दतिया	दतिया (जिला पंचायत वार्ड क्रमांक-7 एवं वार्ड क्रमांक-10 को छोड़कर)	रीता सतीश यादव	महिला	9425120947	कमलकिशोर (कमलू) चौबे	पुरुष	9009850038
22	दतिया	सेवड़ा एवं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक-7	किरण बांके बिहारी शर्मा	महिला	9893212500	शीला माताजी केशव सिंह यादव	महिला	-
23	दतिया	भाण्डेर एवं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक-10	जशोदा	महिला	8461066515	गुरुशरण शर्मा	पुरुष	8989792011
24	शिवपुरी	पोहरी	प्रद्युम्न वर्मा (बछौरा)	पुरुष	9826250755	अरविन्द चकराना	पुरुष	9826908382
25	शिवपुरी	करेरा	बती आदिवासी	महिला	9993486236	बेबी यादव	महिला	9179586600
26	शिवपुरी	शिवपुरी	पारम सिह/कंचन सिह रावत	पुरुष	9425764351	अशोक ठाकुर/खुमान सिंह	पुरुष	9425136166
27	शिवपुरी	पिछोर	लोकपालसिंह लोधी	पुरुष	9425160284	श्रीमती रेनु अग्रवाल	महिला	9752309777
28	शिवपुरी	नरवर	मुकेश कुमार	पुरुष	9893915116	श्रीमती सरोज रावत	महिला	9826268872
29	शिवपुरी	कोलारस	शकुन बाई/रामकृष्ण जाटव	महिला	9893095644	उपेन्द्र सिंह/भरतसिंह चौहान	पुरुष	9993478301
30	शिवपुरी	खनियाधाना	गेंदारानी यादव	महिला	9993480444	डॉ. रामनारायण भार्गव	पुरुष	9407219044

			अध्यक्ष की जानकारी			उपाध्यक्ष की जानकारी		
स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
31	शिवपुरी	बदरवास	श्रीमती मिथलेश/राजेश यादव	महिला	8989846253	श्री रामवीर सिंह/ बैजनाथ सिंह यादव	पुरुष	9993938417
32	गुना	चांचोड़ा	श्रीमती आधार बाई पत्नी छोटे सिंह बिजोरी	महिला	8959178141	रामसेवक पुत्र इंदर सिंह मीणा	पुरुष	9893250387
33	गुना	बमोरी	सावित्री बाई मीना	महिला	9669949076	गुड्डीबाई जयनारायण	महिला	9630943432
34	गुना	राघौगढ़	धापू बाई पत्नी रामसिंह भील	महिला	7697041908	शिवराज सिंह पुत्र सुरजलाल गुर्जर	पुरुष	9893664650
35	गुना	आरोन	अशोक सिंह/ सुरेन्द्रसिंह रघुवंशी	पुरुष	9826844809	श्रीमती तेजबाई/ रामनारायण धाकड़	महिला	9926261657
36	गुना	गुना	श्रीमती शोभा पत्नी राजीव रघुवंशी	महिला	-	श्रीमती सुमन जाट	महिला	-
37	अशोकनगर	ईसागढ़	राजकुमारी	महिला	9575112856	अनीता बाई	महिला	9425191981
38	अशोकनगर	चंदेरी	श्रीमती अर्चना राजे	महिला	9425310259	अक्षय कुमार यादव	पुरुष	9893163336
39	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती चन्दा यादव	महिला	9425660562	श्रीमती सीमाबाई रघुवंशी	महिला	8223065883
40	अशोकनगर	मुगावली	जगन्नाथ सिंग यादव	पुरुष	-	धनपाल सिंह यादव	पुरुष	-
41	सागर	मालथौन	श्रीमती संध्या बुन्देल सिंह ठाकुर	महिला	9826954751	श्रीमती सुशीला मुकेश जैन	महिला	9752340218
42	सागर	बण्डा	देव प्रशांत सिंह	पुरुष	9826607411	रत्नेश प्रताप सिंह	पुरुष	7898066017
43	सागर	देवरी	कु. आँचल आठ्या	महिला	8827403700	श्री महेन्द्र/रामप्रसाद पटैल	पुरुष	9425637556
44	सागर	बीना	सवित्रीबाई/मेहरबान सिंह	महिला	9826572390	दीपेन्द्र पिता कुन्दन सिंह	पुरुष	9165698986
45	सागर	राहतगढ़	क्रान्तिबाई/बद्रीप्रसाद	महिला	9617731599	वर्षा यादव/कैलाश यादव	महिला	9893541474
46	सागर	खुरई	नीतू/जितेन्द्र सिंह	महिला	7898530751	माधव सिंह/गंगा सिंह	पुरुष	7566600557
47	सागर	शाहगढ़	कमला यादव	महिला	9424480030	जय हिन्द प्रताप सिंह	पुरुष	9993004717
48	सागर	जैसीनगर	कमलेशरानी/अनिरुद्ध सिंह	महिला	9575796308	प्रभुसिंह/करुणानिधान	पुरुष	9827131013
49	सागर	सागर	छोटे सिंह/दलीप सिंह	पुरुष	8120661642	आशीष दुबे/राकेश दुबे	पुरुष	7879426677
50	सागर	रेहली	संजय दुबे	पुरुष	9300628834	श्रीमती मधु	महिला	9301607255
51	सागर	कैसली	अतुल/देवेन्द्र कुमार जैन	पुरुष	8103169818	लक्ष्मी/उत्तम कुमार	महिला	9993363806
52	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	गुलाबरानी लोधी	पुरुष	9826742034	अहीर दादू उर्फ सुरेन्द्र	पुरुष	9996834610
53	टीकमगढ़	टीकमगढ़	कामिनी गिरि गोस्वामी	महिला	9406500068	अहिरवार रामसखी	महिला	9754842512
54	टीकमगढ़	जतारा	श्याम बाई यादव	महिला	-	देव सिंह यादव	पुरुष	-
55	टीकमगढ़	पलेरा	मंजू सिंह गोर	महिला	9424141778	ओम प्रकाश अहिरवार	पुरुष	9669163444
56	टीकमगढ़	निवाड़ी	प्रीति खंगार	महिला	9936857819	श्रीमती गीता राय	महिला	9926102160
57	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	कुम्हार हेमलता	महिला	9993626390	कुं. चन्द्रपाल सिंह बंदेला	पुरुष	9977321771
58	छतरपुर	नौगांव	अहीर सुधा यादव	महिला	9826233214	नीरज दीक्षित	पुरुष	7389134555
59	छतरपुर	लवकुशनगर	श्रीमती अजयराजे त्रिलोक सिंह	महिला	9977920987	अहीर रेखा देवी	महिला	9977217215
60	छतरपुर	बिजावर	अर्चना - संजीव पाण्डेय	महिला	8358821795	अहीर जाहर	पुरुष	9713619558
61	छतरपुर	बड़ामलहरा	अनिता राय	महिला	9826613168	कृष्णा राजा	महिला	7747964198
62	छतरपुर	बकस्वाहा	अनीता अहिरवार	महिला	9977997043	ममता ठाकुर	महिला	-
63	छतरपुर	बारीगढ़	राम विशाल बाजपेई	पुरुष	9754427020	छोटेलाल पाल	पुरुष	9993273147
64	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती अजय राजे सिंह	महिला	9977920987	श्रीमती रेखा देवी	महिला	9977217215
65	छतरपुर	राजनगर	उषा अहिरवार	महिला	-	चंदा राजा	महिला	-
66	दमोह	तेदुखेड़ा	संध्या ठाकुर/भूपत सिंह, तारादेही	महिला	8827424546	जानकीबाई/इंद्रजीत सिंह	महिला	9098229170
67	दमोह	हटा	श्रीमती अनुष्का राय	महिला	8589200852	श्री सुंदरलाल व्यास	पुरुष	8827169664
68	दमोह	पटेरा	बद्री पटैल/बलराम पटैल	पुरुष	9300639603	मकुंदीलाल/बालाप्रसाद (बड़ेभाई)	पुरुष	8965995833

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
69	दमोह	दमोह	डॉ. आलोक पिता जे.पी. अहिरवार	पुरुष	-	श्रीमती मनीषा पति पवन कुमार तिवारी	महिला	-
70	दमोह	बटियांगढ़	अशोकरानी पति देवी	महिला	-	भगतसिंह पिता शंकर	पुरुष	-
71	दमोह	जवेरा	भागवतीबाई/गजेन्द्रसिंह लोधी	महिला	8889284385	सुलोचना/सुरेन्द्र कुमार जैन	महिला	9755404728
72	दमोह	पथरियां	श्रीमती रंजीता पति श्री गजेन्द्र उर्फ गौरव पटैल	महिला	9826655151	श्री नवीन तिवारी पिता श्री देवीप्रसाद तिवारी	पुरुष	9575800737
73	पन्ना	गुन्नौर	रेखा पति रामबिहारी चौरसिया	महिला	9617932926	बसंत राजा पति महेंद्र सिंह	महिला	9993490688
74	पन्ना	पन्ना	श्रीमती शोभा सिंह	महिला	9179039147	अरविन्द सिंह	पुरुष	9981982285
75	पन्ना	पवई	श्रीमती अर्चना कोरी	महिला	-	श्री अजय देव बुन्देला	पुरुष	8889378383
76	पन्ना	शाहनगर	श्रीमती सीमा पाल	महिला	9009531880	श्री आशीष खरे	पुरुष	-
77	पन्ना	अजयगढ़	भरत मिलन पाण्डेय	पुरुष	9589559922	नरेश उर्फ़ सुरेश यादव	पुरुष	8269314909
78	सतना	मझगवां	श्री ओंकार सिंह	पुरुष	9993748231	मैना रावत	महिला	7581921557
79	सतना	सोहावल	श्रीमती संतोष धर्मेंद्र सिंह	महिला	9630158115	श्री उपेन्द्र सेन	पुरुष	7389945300
80	सतना	उचेहरा	श्रीमती रोशनी पति मुकेश सिंह पोर्ते	महिला	7049068747	श्री सत्येन्द्र सिंह परिहार	पुरुष	9977427546
81	सतना	नागौद	श्रीमती गायत्री सिंह पटेल	महिला	9893124531	प्रभात कुमार शर्मा	पुरुष	7566741366
82	सतना	अमरपाटन	तारा विजय कुमार पटेल	महिला	9981858531	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	पुरुष	9425186511
83	सतना	रामनगर	मनोज कुमार	पुरुष	9993972155	शिवभूषण उर्फ देवराज सिंह	पुरुष	9981450172
84	सतना	मैहर	अंजली मनोज कुमार कोरी	महिला	9587473134	शशी राजेन्द्र सिंह (बब्लू)	महिला	9926358736
85	सतना	रामपुर बाघेलान	डॉ. नीतू सिंह	महिला	9425478832	सत्यभान सिंह	पुरुष	9589901998
86	रीवा	जवा	कमलेश्वर सिंह	पुरुष	8889090426	कृष्ण प्रताप सिंह	पुरुष	9754129280
87	रीवा	त्योंथर	गीता देवी मांझी	महिला	9424606790	सौरभ प्रसाद मिश्र	पुरुष	9425956705
88	रीवा	रीवा	कृष्णपति त्रिपाठी	पुरुष	9827265178	संगीता पटेल	महिला	9981504884
89	रीवा	रायपुर कर्चुलियान	श्री भूपेन्द्र सिंह	पुरुष	9425184825	श्रीमती तारा पटेल	महिला	9200396099
90	रीवा	गंगेव	ललिता देवी साकेत	महिला	8109272041	अर्चना सिंह	महिला	8349173639
91	रीवा	हनुमना	श्रीमती कल्पना सिंह	महिला	8602387379	श्रीमती प्रीति उर्फ कलावती कोल	महिला	7692972538
92	रीवा	मऊगंज	श्रीमती संगीता साकेत	महिला	8962417108	श्री राकेश सिंह तिवारी	पुरुष	8085086453
93	सीधी	रामपुर नैकिन	कृष्ण देव सिंह	पुरुष	7898284037	राम सुंदर पटेल	पुरुष	9179164011
94	सीधी	मझौली	श्रीमती कंचन देवी साकेत	महिला	8349710184	श्री रामकरण बैगा	पुरुष	8965039457
95	सीधी	सिहावल	श्री श्रीमान सिंह	पुरुष	9893738008	श्री शारदा सिंह	पुरुष	9981879601
96	सीधी	कुसमी	हीराबाई सिन्हे	महिला	9479498323	राजेश सिन्हे	पुरुष	7804243705
97	सीधी	सीधी	शकुन्तला सिंह/धर्मेन्द्र सिंह	महिला	9424641300	चन्द्रशेखर सिंह/रामप्रताप सिंह	पुरुष	-
98	सिंगरोली	चितरंगी	श्रीमती रश्मि सिंह	महिला	9589317437	श्री त्रिवेणी सिंह	पुरुष	9685082305
99	सिंगरोली	देवसर	प्रीती पनाडिया	महिला	9979526018	राजीव कुमार सिंह	पुरुष	9009962555
100	सिंगरोली	बेढन	भोला साकेत	पुरुष	8462839554	उपेन्द्र सिंह	पुरुष	9977509412
101	शहडोल	ब्योहारी	राजेश सिंह	पुरुष	9826453990	छोटेलाल बैस	पुरुष	8120558068
102	शहडोल	जयसिंह नगर	श्रीमती विमला सिंह	महिला	8358834877	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	पुरुष	7697058244
103	शहडोल	सोहागपुर	श्रीमती मीरा कोल	महिला	-	श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा	पुरुष	7354506999
104	शहडोल	बुढ़ार	ललन सिंह	पुरुष	9853984078	श्रीमती अन्नु रानी सिंह	महिला	9993271715

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
105	शहडोल	गोहपारू	श्रीमती नीलम सिंह मरावी	महिला	9669847973	सुधीर प्रताप सिंह	पुरुष	9753059080
106	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	हीरा सिंह श्याम	पुरुष	9669779282	संतोष कुमार उर्फ बब्लू पाण्डेय	पुरुष	9424364850
107	अनूपपुर	अनूपपुर	श्रीमती ममता सिंह	महिला	9669885873	श्री नरेश सिंह	पुरुष	9755326813
108	अनूपपुर	जैतहरी	गोमती धुर्वे	महिला	9179599046	मनोज राठौर	पुरुष	8889986298
109	अनूपपुर	कोतमा	मनीषा पाव	महिला	932901824	अभिषेक कुमार	पुरुष	9669475180
110	उमरिया	मानपुर	राम किशोर चतुर्वेदी	पुरुष	9425831266	जीवन राम सिंह	पुरुष	8827763765
111	उमरिया	करकेली	श्रीमती कुसुम सिंह	महिला	9893092645	श्री केशव प्रसाद पाण्डेय	पुरुष	9753713600
112	उमरिया	पाली	श्रीमती मायासिंह	महिला	7694940628	श्री लाल बहादुर सिंह	पुरुष	9425181321
113	कटनी	विजय राघवगढ़	गंगाराम चौधरी	पुरुष	9179822157	सुरेन्द्र कुमार पाण्डे	पुरुष	9425465053
114	कटनी	ढ़ीमडखेड़ा	श्रीमती साधना पति राजेश चौरासिया	महिला	9630803458	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर पिता सुशील सिंह	पुरुष	9575393577
115	कटनी	बड़वाड़ा	श्रीमती आलू बाई	महिला	7626276212	श्रीमती कविता सिंह	महिला	7626276212
116	कटनी	कटनी	श्री शैलेष कन्हैया तिवारी	पुरुष	9425156567	श्रीमती अर्चना जायसवाल	महिला	8224878809
117	कटनी	बहोरीबंद	अनीता सुनील रत्नम	महिला	9669566572	शंकरलाल महतो	पुरुष	9755186874
118	कटनी	रीठी	रोशनी सिंह	महिला	7828558816	मीरा बाई	महिला	9575106941
119	जबलपुर	सिहोरा	सरिता सिंह गौंड	महिला	-	सुभाष पटैल	पुरुष	9425465593
120	जबलपुर	कुंडम	आराधना महोबिया	महिला	-	ओंकार सिंह	पुरुष	-
121	जबलपुर	पनागर	योगिता पटेल	महिला	-	अनीता रामकुमार पटेल	महिला	-
122	जबलपुर	पाटन	श्रीमती सविता पति शत्रुघन सिह	महिला	7898947815	श्री आनंद मोहन पलहा पिता कृष्ण मोहन पलहा	पुरुष	9425866918
123	जबलपुर	मझौली	रूकमणि बाई भूमिया	महिला	-	शैलेष अवस्थी	पुरुष	-
124	जबलपुर	जबलपुर	श्री संजय पटेल	पुरुष	9407851892	श्री सुखलाल यादव	पुरुष	9424678255
125	जबलपुर	शाहपुरा	ठा. अनुराग सिंह (गोलू भैया)	पुरुष	9424957875	अमित टहनगुरिया उर्फ मोनू	पुरुष	8224931111
126	डिण्डौरी	शहपुरा	श्री थानी सिंह धुर्वे	पुरुष	-	श्री टेकेश्वर साहू	पुरुष	-
127	डिण्डौरी	मेंहदवानी	तिरंजना धुर्वे	महिला	-	रेखा बाई	महिला	-
128	डिण्डौरी	डिण्डौरी	श्रीमती देववती गिरवर वालरे	महिला	-	श्री सुशील कुमार राय	पुरुष	-
129	डिण्डौरी	अमरपुर	मल्ली बाई उईके	महिला	-	मान सिह धुर्वे	पुरुष	-
130	डिण्डौरी	समनापुर	उजियार सिंह	पुरुष	-	अंजुला बडगैया	महिला	-
131	डिण्डौरी	बजाग	रूदेश परस्ते	पुरुष	9713331081	पारवती बाई	महिला	9685656451
132	डिण्डौरी	करंजिया	रंजीता	महिला	9753578244	अम्बेश्वरी	महिला	9407737721
133	मण्डला	घुघरी	श्रीमती कौशल्या मरावी	महिला	9407170306	श्री रामप्रकाश साहू	पुरुष	9425851814
134	मण्डला	मौहगांव	मालती मरावी	महिला	8989847042	रूपेन्द्र	पुरुष	9424359229
135	मण्डला	मण्डला	श्रीमती पांचो बाई पदम	महिला	8103169542	श्री अभिनव चौरसिया (नट्टू)	पुरुष	9425165281
136	मण्डला	बिछिया	रायसिंह	पुरुष	9406773510	उमेश राय (मुनिया)	पुरुष	9926866466
137	मण्डला	नैनपुर	चैन सिंह उइके	पुरुष	8827115952	संतोष तिवारी	पुरुष	9425485236
138	मण्डला	नारायणगंज	जीरा बाई	महिला	9424392151	श्री भूपेन्द्र वरकडे	पुरुष	9424917530
139	मण्डला	निवास	श्री बाल कन्हैया भवेदी	पुरुष	8719042498	श्री संजीत पाण्डेय	पुरुष	9425483703
140	मण्डला	बीजाडांडी	अमका गोथारिया	महिला	226453117	हेमलता यादव	महिला	226453117
141	बालाघाट	कटंगी	प्रभाबाई तोडनलाल बिसेन	महिला	9993463836	आरती दीपक पुष्पतोडे	महिला	9158451998
142	बालाघाट	बिरसा	श्रीमती सविता पति राजेन्द्र सिंह धुर्वे	महिला	7692051987	श्री कृष्ण कुमार नगेश्वर पिता लक्ष्मण	पुरुष	8718995634

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
143	बालाघाट	परसवाड़ा	श्रीमती सुशीला पति चेतनसिंह सरोते	महिला	8989659492	श्रीमती मालती प्रदीप उईके	महिला	8120602128
144	बालाघाट	बेहर	श्रीमती भगवन्ती सैय्याम	महिला	9424906719	गुलाबचन्द बिसेन	पुरुष	9424613539
145	बालाघाट	बालाघाट	श्री पूरनलाल ठाकरे पिता शोभाराम	पुरुष	9424752180	श्री जुगलकिशोर बम्बुरे पिता श्री परसराम	पुरुष	8435565329
146	बालाघाट	लांजी	श्री अमृतलाल पिता श्री खुन्नीराम मेश्राम	पुरुष	9300106082	श्री सत्यपाल पिता श्री दयालाल मडावी	पुरुष	8435831750
147	बालाघाट	लालबर्रा	श्रीमती किरण पति रूपसिंह मरावी	महिला	9993314020	श्री अशोक जायसवाल पिता अनुपचंद	पुरुष	9425822889
148	बालाघाट	किरनापुर	दुर्गा बेनीराम खोटेले	महिला	9098631263	हिम्मतलाल गढवंशी	पुरुष	9165609216
149	बालाघाट	खेरलांजी	श्रीमती ममता बोरकर	महिला	9755613596	श्रीमती मधु शुक्ला	महिला	8223903062
150	बालाघाट	वारासिवनी	चिन्तामन नगपूरे	पुरुष	9926651312	किरण ठाकरे	महिला	9755081320
151	सिवनी	लखनादौन	श्रीमती जलसो पति नरबद	महिला	8224009932	श्री अनिल गोल्हानी/लल्लूराम	पुरुष	9479505490
152	सिवनी	घंसौर	रविन्द्र सिंह	पुरुष	9752743780	विजय कुमार	पुरुष	8120987729
153	सिवनी	धनोरा	श्रीमती राधा बाई	महिला	8120919895	जहॉन सिंह मर्सकोले	पुरुष	7566718392
154	सिवनी	केवलारी	श्रीमतीा रंजना ठाकुर/ शशिकांत ठाकुर	महिला	9977153304	श्रीमती बिरुबाई शिवकुमार राजपूत	महिला	9406752582
155	सिवनी	छपारा	केशर/विजय कुमार	महिला	9644618124	नीरज दुबे (पिंकु)	पुरुष	9424364402
156	सिवनी	कुरई	शशिबाला ककोडिया	महिला	9754605228	देवेन्द्र राहंगडाले	पुरुष	8435237708
157	सिवनी	सिवनी	प्रतीक्षा बृजेश राजपूत	महिला	9630300600	रामजी चंद्रवंशी	पुरुष	9826143240
158	सिवनी	बरघाट	सुनील कुमार तेकाम	पुरुष	9165440523	तुमेश बोपचे	पुरुष	9575738215
159	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	अनुराधा धनीराम पटैल	महिला	9424397911	रजनी सुनील जाट	महिला	9926350357
160	नरसिंहपुर	गोटेगांव	श्री संतोष दुबे	पुरुष	9300171900	श्रीमती पुष्पलता पटैल	महिला	8720005407
161	नरसिंहपुर	करेली	श्रीमती रंजना देवी जूदेव	महिला	9575702922	अरविंद पटैल	पुरुष	9424301413
162	नरसिंहपुर	चारवपाठा	रामवती	महिला	9425832857	अंगूरी बाई यादव	महिला	9926002355
163	नरसिंहपुर	चीचली	मुकेश मरैया	पुरुष	9575391415	श्रीमती उमाबाई	महिला	9630110206
164	नरसिंहपुर	साईखेड़ा	फूलाबाई/डब्बल सिंह	महिला	9009524241	आत्माराम कौरव/दीनानाथ कौरव	पुरुष	9755444784
165	छिन्दवाड़ा	तामिया	उजरसिंग भारती/ सुक्लू भारती	पुरुष	9407861585	पुन्नालाल नवरेती/ शंकरलाल नवरेती	पुरुष	9425624590
166	छिन्दवाड़ा	हर्रई	श्री रीझनसा उईके	पुरुष	7746974750	श्रीमती विस्सोबाई तेकाम	महिला	8989758201
167	छिन्दवाड़ा	परासिया	रईश खान	पुरुष	9425148315	रामावतार गुप्ता	पुरुष	9424300109
168	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	श्रीमती कैलाशबती पंद्राम	महिला	-	श्री जुगलकिशोर वर्मा	पुरुष	9300823881
169	छिन्दवाड़ा	चैरई	वीरपाल इनवाती	पुरुष	9754255657	राधेश्याम रघुवंशी (मंझलो पटेल)	पुरुष	9425342212
170	छिन्दवाड़ा	बिछुआ	श्रीमती पुषपा उइके पति लखन उइके	महिला	8435747598	श्री नकलसिंह इवनाती पिता पताप इवनाती	पुरुष	9753156660
171	छिन्दवाड़ा	पांढुर्ना	गणेश तुलसीराम पदमाकर	पुरुष	9926262251	सुनील घनश्याम रबडे	पुरुष	8878771316
172	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	श्रीमती शिवबाती वानखेड़े	महिला	8120017151	श्रीमती साधना रघुवंशी	महिला	9424961067
173	छिन्दवाड़ा	मोहखेड़ा	कीर्ति गावंडे	महिला	9407025437	नीलेश उइके	पुरुष	9754749643
174	छिन्दवाड़ा	जुनारदेव	श्रीमती सुशीला इवनाती/ श्री नत्थूलाल	महिला	8103777097	श्री सोहनसिंग सरेयाम/ श्री सुखराम	पुरुष	9425833583
175	छिन्दवाड़ा	सोसर	श्रीमती पल्लवी संजय भुते	महिला	9424724156	श्री प्रवीण शामराव बागडे	पुरुष	9424356436
176	बैतूल	बैतूल	श्रीमती पूर्णिमा पाठा पति सतीश	महिला	9425402389	श्रीमती गीता धोटे पति श्री पर्वत धोटे	महिला	9424422850

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
177	बैतूल	आमला	लता राजू देशमुख	महिला	9826417172	निलिमा पवार	महिला	8224030748
178	बैतूल	शाहपुर	गुड्डन बाई/छगनलाल कावरे	महिला	-	विशाल सिंह/इक्कमसिंह ठाकुर	पुरुष	-
179	बैतूल	प्रभातपट्टन	संगीता नागले	महिला	9584033964	चन्द्रप्रकाश डण्ढारे	पुरुष	9752085330
180	बैतूल	मुलताई	पार्वती पति प्रेमचंद उईके	महिला	8817044217	सदाशिव उर्फ मोठु पिता धान्धू गढेकर	पुरुष	9329680491
181	बैतूल	भैंसदेही	संजय पुत्र श्यामा मावस्कर	पुरुष	8989769681	दिनेश पिता रघुनाथ वागद्रे	पुरुष	9479944233
182	बैतूल	चिचोली	श्री चिरोंजीलाल कवडे पिता श्री रामलाल कवडे	पुरुष	8989953379	श्री शंकरराव चडोकार पिता श्री थल्लूजी चडोकार	पुरुष	9425402566
183	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सुशीला/चरणलाल धुर्वे	महिला	9575908545	मिश्रीलाल परते	पुरुष	9826820161
184	बैतूल	भीमपुर	श्रीमती विध्यावती कास्दे पति श्री मौजी कास्दे	महिला	-	श्री मनोहरी परते पिता छन्नू परते	पुरुष	-
185	बैतूल	आठनेर	रामचरण/विश्वा	पुरुष	9479372116	संतोष/रामभजन धाकड़	पुरुष	9098084403
186	हरदा	हरदा	फूंदा बाई पति रामभरोस	महिला	9165575351	किरण पति गोविन्द जाट	महिला	9826797199
187	हरदा	टिमरनी	निधीसिंह बद्रीनारायण राजपूत	महिला	9754532525	रामकृष्ण तुलसीराम मांगुल्ले	पुरुष	9826331713
188	हरदा	खिरकिया	जगदीश सोलंकी	पुरुष	9826839021	सुदीप पटेल	पुरुष	9630560277
189	होशंगाबाद	होशंगाबाद	श्रीमती संगीता सोलंकी	महिला	-	श्री अतुल गौर	पुरुष	-
190	होशंगाबाद	पिपरियां	श्रीमती अर्चना साहू	महिला	9424380712	श्री अजमेर सिंह	पुरुष	9407300033
191	होशंगाबाद	बनखेड़ी	श्रीमती उमाबाई	महिला	9977610868	भगवानदास काबरा	पुरुष	9893812826
192	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	श्रीमती राधाबाई पटेल	महिला	9826350156	श्रीमती दुर्गामनी पटेल	महिला	-
193	होशंगाबाद	बाबई	ब्रजमोहन गोथवाल	पुरुष	9977714545	संजय सिंह चौहान (मुन्ना भैया)	पुरुष	9617222703
194	होशंगाबाद	सोहागपुर	मन्जू जदीश अहिरवार	महिला	8085578200	भारत कुमार पटेल	पुरुष	8959009828
195	होशंगाबाद	केसला	श्री गनपती उइके	पुरुष	9754476899	श्री सुनील चौधरी	पुरुष	9826450043
196	रायसेन	बाड़ी	श्री मकरंद सिंह पटेल	पुरुष	9584453035	श्रीमती सीताबाई प्रीतम सिंह पटेल	महिला	9009887070
197	रायसेन	औ.गंज	श्रीमती ललिता	महिला	9713463803	श्री ज्ञानसिंह	पुरुष	9098795359
198	रायसेन	उदयपुरा	ठा. वीरेंद्र सिंह	पुरुष	9893698469	घनश्याम	पुरुष	8349765075
199	रायसेन	बैगमगंज	श्रीमती कृष्ण कांता पटेल	महिला	9425653001	श्री राजकुमार	पुरुष	9827601571
200	रायसेन	गैरतगंज	श्रीमती ममता	महिला	8817114263	श्री मिथलेश शर्मा	पुरुष	9993180124
201	रायसेन	सांची	एस मुनियन	पुरुष	9993542433	मुकेश धाकड	पुरुष	9826712542
202	रायसेन	सिलवानी	शीलाबाई/बाबूलाल	महिला	9009611673	देवराज सिंह रघुवंशी/ स्व. माधव सिंह रघुवंशी	पुरुष	9893343436
203	विदिशा	विदिशा	श्रीमती रामदेवी ठाकुर	महिला	8269079505	श्री मनोज मीणा	पुरुष	9179102572
204	विदिशा	कुरवाई	प्रेमनारायण तिवारी	पुरुष	9425614925	हीराबाई पत्नी कमरसिंह दांगी	महिला	9993185462
205	विदिशा	ग्यारसपुर	कटारे ममता	महिला	9039185781	कमलेश लोधी	पुरुष	7354247251
206	विदिशा	सिरोंज	जितेन्द्र बघेल	पुरुष	9826304862	भैंरो सिंह कुर्मी	पुरुष	9926735026
207	विदिशा	नटेरन	श्रीमती मंजू	महिला	9754606164	श्रीमती नीतूबाई रघुवंशी	महिला	9425640216
208	विदिशा	लटेरी	माखन सिंह यादव	पुरुष	9753885108	बन्धना	महिला	982132153
209	भोपाल	बैरसिया	अ. हकीम खां	पुरुष	9754098653	ओमप्रकाश	पुरुष	9685945889
210	सीहोर	आष्टा	धारासिंह पटेल	पुरुष	9753343571	सोभालसिंह ठाकुर	पुरुष	9827803999
211	सीहोर	बुदनी	विमला/रामनारायण साहू	महिला	9893345013	सुनीता/हरीसिंह राजपूत	महिला	9997485647

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
212	सीहोर	नसरूल्लागंज	दुलारी देवीसिंह धुर्वे	महिला	9926473847	चिन्तामणि बाई संतोष	महिला	9977484948
213	सीहोर	इछावर	श्री ओमप्रकाश वर्मा	पुरुष	9926365454	श्रीमती मधुबाई	महिला	9826545340
214	सीहोर	सिहोर	श्रीमती सुगनबाई	महिला	9200322939	श्री अवधेश	पुरुष	9755055074
215	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माया पाटीदार	महिला	9926922221	रेखा बाई	महिला	9753972401
216	राजगढ़	जीरापुर	श्री प्रकाश पुरोहित पिता श्री रामप्रसाद पुरोहित	पुरुष	9827374219	श्रीमती जतनबाई पति श्री इन्द्रसिंह परमार	महिला	9425443806
217	राजगढ़	सारंगपुर	अनामिका-उपेन्द्र सिंह छावरी	महिला	9425037592	रमा बाई-कैलाशचन्द्र धाकड़	महिला	9977040613
218	राजगढ़	खिलचीपुर	जगदीश दांगी	पुरुष	9669886108	राघवेन्द्र सिंह खींची	पुरुष	9827576812
219	राजगढ़	ब्यावरा	कमलाबाई पति जगदीश दांगी	महिला	9926642635	दीपाबाई पति चेनसिंह गुर्जर	महिला	8889625583
220	राजगढ़	राजगढ़	श्रीमती गिरीजा बाई	महिला	9977330098	श्रीमती कस्तूरी बाई	महिला	9754501606
221	आगर-मालवा	आगर	श्यामूबाई देवी सिंह	महिला	9893557257	मान सिंह शिवलाल	पुरुष	9617107536
222	आगर-मालवा	बड़ौद	श्रीमती रामकुंवर बाई पति महेन्द्रसिंह निवासी जहांगीरपुरा	महिला	8959648222	श्रीमती श्यामुबाई पति शिवराजसिंह (शम्भुसिंह)	महिला	9899367307
223	आगर-मालवा	सुसनेर	सुनीता कृष्णचन्द	महिला	8519063307	शिवसिंह रामसिंह	पुरुष	9926056625
224	आगर-मालवा	नलखेड़ा	ईश्वरसिंह	पुरुष	9893122450	सुरेश पाटीदार	पुरुष	9981313350
225	शाजापुर	शाजापुर	बोन्दीबाई कचरूलाल	महिला	9575962407	बालाराम बाबुलाल	पुरुष	9893351929
226	शाजापुर	मो.बडोदिया	अजब सिंह	पुरुष	9926718700	मोहन बाई	महिला	9893163304
227	शाजापुर	शुजालपुर	श्री किशोरसिंह रामचन्द्र पाटीदार	पुरुष	9425941715	श्रीमती गीताबाई राधेश्याम	महिला	9425035308
228	शाजापुर	कालापीपल	श्रीमती ममताबाई संजयकुमार गामी	महिला	9993761169	श्रीमती सरिता भोजराजसिंह पंवार	महिला	9926600600
229	देवास	देवास	श्रीमती महेन्द्र कौर पति समंदरसिंह	महिला	-	राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह बैस	पुरुष	-
230	देवास	टोंकखुर्द	रमु बाई पति शोभाराम	महिला	9424575731	पवन कुमार	पुरुष	9827077743
231	देवास	सोनकच्छ	दीपशिखा पति धर्मेन्द्र यादव	महिला	-	राजेन्द्र सिंह पिता संवई सिंह	पुरुष	-
232	देवास	बागली	निर्मला हुकमचन्द कन्ठाली	महिला	9926837411	भेरुसिंह ध्यानसिंह सोलंकी	पुरुष	8817984887
233	देवास	कन्नौद	डॉ. ओम पटेल	पुरुष	9926770979	करण पटेल	पुरुष	8966938729
234	देवास	खातेगांव	श्रीमती गुलाब बाई टाडा	महिला	9753272335	श्री बाबूलाल पिता नानुराम खेर	पुरुष	9617612942
235	खण्डवा	हरसूद	श्री तुलसीराम पिता रामलाल नागर	पुरुष	9907549301	श्री जयप्रकाश नारायण पिता राधेश्याम	पुरुष	9754123721
236	खण्डवा	पंधाना	कंचनबाई तनवे	महिला	9617226231	डॉ. किशोर महाजन	पुरुष	9893952660
237	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्री किशोर राजाराम पाटील	पुरुष	9754520723	श्री अशोक काशीनाथ महाजन	पुरुष	9755017678
238	बुरहानपुर	खकनार	निर्मला प्रकाश	महिला	9644863833	बसंती घनश्याम	महिला	9755514573
239	खरगौन	भीकनगांव	श्रीमती रेखाबाई धन्नालाल खतवासे	महिला	9617255696	श्री दुलीचंद कुंवरजी बांके	पुरुष	9753553885
240	खरगौन	भगवानपुरा	श्रीमती प्यारीबाई पति ध्यानसिंह	महिला	9926984075	श्रीमती रेशमीबाई पति रूमला	महिला	9977545813
241	खरगौन	गोगांवा	संगीता बाई राजेश	महिला	8889667545	ओमप्रकाश सा शंकर सा	पुरुष	9755960457

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
242	खरगौन	सेगांव	विजय चिडाभाई डावर	पुरुष	9981001333	चम्पालाल रूखडिया आर्से	पुरुष	8959664554
243	खरगौन	कसरावद	श्रीमती वंदना इंदरसिंह राठौर	महिला	9425449112	श्री गुलाबचन्द पिता घिस्या पटेल	पुरुष	9826699265
244	खरगौन	झिरन्या	श्रीमती रूखमाबाई पति दरबार	महिला	-	श्री घनश्याम पिता मांगीलाल राठौर	पुरुष	-
245	खरगौन	खरगौन	रमेश बावरा	पुरुष	8966834163	मानकचन्द बाउजी पाटीदार	पुरुष	9977545699
246	खरगौन	बड़वाह	आनंदराम चेतराम लोणकर	पुरुष	9926376687	घिसालाल धन्नालाल गुर्जर	पुरुष	9926799633
247	खरगौन	महेश्वर	श्रीमती आशा पति श्री राकेश वर्मा	महिला	9993430798	श्री सुनील पिता श्री सीताराम वर्मा	पुरुष	9589066027
248	बड़वानी	बड़वानी	मनेन्द्रसिंह रायसिंह पटेल (बिट्टू)	पुरुष	9009718095	शांतिलाल सीताराम	पुरुष	9425087598
249	बड़वानी	पानसेमल	अरूणाबाई सन्तोष	महिला	8435860641	सुनिल एका बागले	पुरुष	9589749044
250	बड़वानी	निवाली	विकास अर्जुनसिंह डावर	पुरुष	9806666630	कैलाश भग्गु	पुरुष	9993934014
251	बड़वानी	सेंधवा	श्रीमती भागा बाई तरोले	महिला	-	श्री रमेशचंद्र गर्ग	पुरुष	9826088131
252	बड़वानी	पाटी	सायनाबाई पति पांडू	महिला	9589417687	देवेन्द्र (दिलु) पिता राधेश्याम मालवीया	पुरुष	9755955734
253	बड़वानी	राजपुर	गजानंद पिता डेमनिया डावर	पुरुष	9179910601	विनय पिता कमलचंद सोनी	पुरुष	9425353626
254	बड़वानी	ठीकरी	श्रीमती निर्मला जगदीश मुजाल्दे	महिला	9179593528	श्री खेमराज मांगीलाल	पुरुष	9669301507
255	अलीराजपुर	सोण्डवा	कमल सिंह सेकडिया	पुरुष	9754260982	रायसिंह फेन्दरीया	पुरुष	-
256	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्रीमती सुनीता इन्दर सिंह	महिला	9424035350	श्री दिलसिंह रूपला	पुरुष	9925101362
257	अलीराजपुर	भावरा	कमना गोर्धन	महिला	8827481231	गोपाल वसना	पुरुष	9981707755
258	अलीराजपुर	कट्ठिवाड़ा	श्रीमती सरमी बाई पति भदुसिंह पचाया	महिला	9179563086	श्रीमती मैना पति स्व. श्री भंगड़सिंह	महिला	-
259	अलीराजपुर	उदयगढ़	श्रीमती मनीबाई पति कमलसिंह अजनार	महिला	7354269005	श्री अमरसिंह पिता मानसिंह	पुरुष	8827964434
260	अलीराजपुर	जोबट	शकुन्तला पति मेहतापसिंह डुडवे	महिला	8349102920	मुकेश पिता प्रतापसिंह	पुरुष	-
261	झाबुआ	झाबुआ	श्रीमती गीता शंकरसिंह भूरिया	महिला	9893979934	श्री अमित भूरा वसुनिया	पुरुष	9179960456
262	झाबुआ	रानापुर	माना पति पांगला अजनार	महिला	7047520525	कसू पति उदा मछार	महिला	9685931205
263	झाबुआ	रामा	श्री राधुसिंह भूरिया	पुरुष	9685633268	श्रीमती भुरी पति उड़नसिंह दाडीवाला	महिला	8889789136
264	झाबुआ	थांदला	गेन्दाल सेवला डामोर	पुरुष	9752107050	राजेन्द्र जगन्नाथ भगत	पुरुष	9098668666
265	झाबुआ	मेघनगर	सुशीला पति प्रेमसिंग भाबर	महिला	9425487838	नरवरसिंह हाडा	पुरुष	9424871684
266	झाबुआ	पेटलावद	श्रीमती मथुरी मूलचन्द निनामा	महिला	9926042605	श्रीमती राजलक्ष्मी गोपालसिंह राठौर	महिला	9754519317
267	धार	बदनावर	प्रकाश राव दिनकर राव सावंत	पुरुष	9425046827	संगीता जीतेन्द्र कटारिया	महिला	9754926282
268	धार	तिरला	श्रीमती बिरजबाई पति गणेश	महिला	9981538779	श्रीमती सुमित्रा पति अशोक जाट	महिला	9754417357
269	धार	उमरबन	मेहदाबाई-अन्तरसिंह	महिला	9981567474	ओमप्रकाश-वासुदेव जोशी	पुरुष	9993970864
270	धार	धार	रेशमबाई दितुसिंह	महिला	-	लोकेन्द्र सिंह	पुरुष	-
271	धार	कुक्षी	कुसुम बाई बघेल पिता दरियावसिंह	महिला	8878896989	रातुसिंह पिता उदयसिंह	पुरुष	9753996411
272	धार	नालछा	श्री उमरावसिंह दित्या	पुरुष	9827123103	श्री प्रकाश परमानंद फौजदार	पुरुष	9074622505
273	धार	गंधवानी	कमला पति दीपक	महिला	-	निरंक	पुरुष	-
274	धार	मनावर	ओंकारसिंह कवचे	पुरुष	9098417588	दुर्गाबाई शोभागसिंह	महिला	9179243800

स.क्र.	जिला	ब्लाक	अध्यक्ष की जानकारी अध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.	उपाध्यक्ष की जानकारी उपाध्यक्ष का नाम	लिंग	मोबाइल न.
275	धार	धरमपुरी	विद्या वीरेन्द्र सिंह	महिला	9993130526	महादेव हुकुमचन्द	पुरुष	7389509925
276	धार	सरदारपुर	तिलोक चन्द पाल	पुरुष	9424821738	मोहन नारायण जमादारी	पुरुष	-
277	धार	बाग	सुमनबाई भेरूसिंह	महिला	-	पदमसिंह अमरसिंह	पुरुष	-
278	धार	निसरपुर	पन्नालाल मण्डलोई पिता श्री नारायण मण्डलोई	पुरुष	9630626277	खेमेन्द्रसिंह (गुनु) दरबार पिता भवानीसिंह	पुरुष	9425087950
279	धार	डही	श्री भिण्डे जयदीप पिता बापुसिंह पटेल	पुरुष	9993798333	श्री राकेश पिता मेहताब	पुरुष	9977418162
280	इंदौर	देपालपुर	प्रेमलता - मिश्रीलाल डाबी (पटेल)	महिला	8964079469	कल्याणसिंह पंवार	पुरुष	9406832836
281	इंदौर	डॉ. अम्बे. (महू)	श्रीमती लीलाबाई संतोष पाटीदार	महिला	9425061172	श्री मेहमूद सेठ पिता अब्दुल जब्बार	पुरुष	9826022294
282	इंदौर	सावेर	भगवानलाल दयाराम परमार	पुरुष	9425032570	पवन बजलाल पटेल	पुरुष	9755806757
283	इंदौर	इंदौर	विजय लक्ष्मी रामसिंह पारिया	महिला	9425025631	मंडलोई सरला नरेन्द्रसिंह	महिला	9827545459
284	उज्जैन	महिदपुर	मगन बाई भेरू सिंह	महिला	9752283325	लोकेश अन्डेरिया	पुरुष	9669559663
285	उज्जैन	तराना	सरोज कुवर अजित सिंह	महिला	9827556255	मेहरबान सिंह सिध नाथ	पुरुष	9893182677
286	उज्जैन	बड़नगर	श्रीमती राजूबाई पति सोहन सिंह गुर्जर	महिला	9907795296	श्री विजय चोधरी पिता मोतीलाल चोधरी	पुरुष	9893045117
287	उज्जैन	उज्जैन	श्री घनश्याम उर्फ राहुल जाट	पुरुष	9009001117	श्री रविशंकर वर्मा	पुरुष	9826846003
288	उज्जैन	खाचरौद	श्रीमती श्यामा पति रमेशचन्द्र	महिला	8517912219	श्री लालसिंह पिता विक्रमसिंह	पुरुष	9826573653
289	उज्जैन	घट्टिया	रमेश नागुलाल मालवीय	पुरुष	9826141928	हाकमसिंह तेजराम आंजना	पुरुष	9755160008
290	रतलाम	आलोट	कालू सिंह परिहार	पुरुष	9425491078	सुनीता धाकड़	महिला	9685939127
291	रतलाम	बाजना	श्रीमती रामकुंवर पति श्री मानसिंह देवदा	महिला	9098956779	श्री चुन्नीलाल मुनियां पिता श्री रायचन्द्र	पुरुष	9907475278
292	रतलाम	सैलाना	रुबजी - भाणजी	पुरुष	9755955787	वीरेन्द्रसिंह - गोपालसिंह	पुरुष	8435615151
293	रतलाम	रतलाम	संगीता मुकेश मालवीय	महिला	8109569654	जुझारसिंह जोधा	पुरुष	9826108965
294	रतलाम	जावरा	रामविलास धाकड़	पुरुष	9827005857	लोकेन्द्रसिह सोलंकी	पुरुष	9098743658
295	रतलाम	पिपलोदा	संतोष - सुरेशकुमार	महिला	9977408401	श्यामसिंह देवड़ा	पुरुष	9977033497
296	मंदसौर	गरोट	चन्दर सिंह सिसोदिया	पुरुष	9770394209	तूफान सिंह चौहान	पुरुष	9977498472
297	मंदसौर	मल्हारगढ़	श्रीमती निर्मला पति शरदकुमार जैन	महिला	9993334353	श्री गणपत लाल पिता भेरुलाल पंवार	पुरुष	9993313363
298	मंदसौर	सीतामऊ	बतुलकुंवर-दिलीप सिंह परिहार	महिला	9009308206	गजेन्द्र सिंह-तखत सिंह	पुरुष	9893322368
299	मंदसौर	भानपुरा	विजयलक्ष्मी पुरोहित	महिला	9589248232	पुरालाल अहीर	पुरुष	8718070473
300	मंदसौर	मंदसौर	शांतिलाल पिता अम्बालाल मालवीय	पुरुष	9406671430	परशुराम पिता मोहनलाल सिसोदिया	पुरुष	9893843706
301	नीमच	मनासा	गंगाराम-केशुराम बंजारा (कछावा)	पुरुष	9425441203	गोपालदास-गेलाराम पंजाबी	पुरुष	9926525957
302	नीमच	जावद	श्रीमती अहिर सुगनाबाई पति श्री पुरणमल अहिर	महिला	7898334246	श्रीमती कमलीबाई धाकड	महिला	9424077402
303	नीमच	नीमच	जगदीश पिता लखमीचंद गुर्जर	पुरुष	9009003345	माया पति दीपक नागदा	महिला	9009673451

● **हेमलता हुरमाड़े**

नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के कारण विघटित ग्राम पंचायतों की सूची

पंचायत निर्वाचन 2014-15 अंतर्गत नगरीय निकायों की सीमा विस्तार के कारण मध्यप्रदेश की 23006 ग्राम पंचायतों में से 205 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में नहीं रही हैं। यह पंचायतें अब नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई हैं।

क्रमांक	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	इन्दौर	खरगौन	खरगौन	भाडली
2	इन्दौर	खरगौन	महेश्वर	करही
3	इन्दौर	खरगौन	महेश्वर	पाडल्या खुर्द
4	इन्दौर	खरगौन	खरगौन	सुखपुरी
5	इन्दौर	खरगौन	खरगौन	सांगवी
6	इन्दौर	खरगौन	खरगौन	रहिमपुरा
7	इन्दौर	खरगौन	खरगौन	जैतापुर
8	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	बडा बांगडदा
9	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	कैलोदकर्ताल
10	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	कनाडिया
11	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	मुण्डलानायता
12	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	बिलावली
13	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	भिचोलीमर्दाना
14	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	भिचोलीहप्सी
15	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	निहालपुरमुण्डी
16	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	निपानिया
17	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	टिगरिया बादशाह
18	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	लिम्बोदी
19	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	हुक्माखेड़ी
20	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	भानगढ़
21	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	पालदा
22	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	सुखनिवास
23	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	छोटा बांगरदा
24	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	तलावलीचांदा
25	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	अहिरखेडी
26	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	अरंडिया
27	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	लसूडियामोरी
28	इन्दौर	इन्दौर	सांवेर	कुमेडी
29	इन्दौर	इन्दौर	सांवेर	भंवरासला
30	इन्दौर	इन्दौर	सांवेर	रेवती
31	जबलपुर	बालाघाट	बिरसा	बोरखेड़ा
32	चम्बल	मुरैना	मुरैना	बडोखर
33	चम्बल	मुरैना	मुरैना	मुरैनागांव
34	चम्बल	मुरैना	मुरैना	मुडियाखेडा
35	चम्बल	मुरैना	मुरैना	निवी
36	चम्बल	मुरैना	मुरैना	भोंडेरी
37	चम्बल	मुरैना	मुरैना	डोमपुरा

क्रमांक	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
38	चम्बल	मुरैना	मुरैना	छौदा
39	चम्बल	मुरैना	मुरैना	जौराखुर्द
40	चम्बल	मुरैना	मुरैना	जौरी
41	चम्बल	मुरैना	मुरैना	अतरसूमा
42	चम्बल	मुरैना	मुरैना	लालौरकला
43	चम्बल	मुरैना	जौरा	महाराजपुर
44	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	बिछुआ	बिछुआ
45	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	खापाभाट
46	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	खजरी
47	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	इमलीखेड़ा
48	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	बोरिया
49	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	कुकड़ाजगत
50	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सिवनी प्राणमोती
51	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पखडिया
52	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	परतला
53	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पोआमा
54	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	रोहनाखुर्द
55	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सर्रा
56	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सरसवाड़ा
57	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सोनपुर
58	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सोनाखार
59	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	चंदनगांव
60	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	अजनिया
61	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	लहगडुआ
62	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	लोनिया करबल
63	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई	खैरीरानी
64	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई	मोघर
65	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई	हरनाखेडी
66	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई	चांद
67	भोपाल	विदिशा	विदिशा	बैस
68	भोपाल	विदिशा	विदिशा	मिर्जापुर
69	भोपाल	विदिशा	विदिशा	तमोरिया
70	भोपाल	विदिशा	विदिशा	टीलाखेड़ी
71	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी
72	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	कलकुही
73	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	रहटवाडा
74	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	दहलवाडाकला
75	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	चूरना
76	भोपाल	भोपाल	फन्दा	कोलुखेडी
77	भोपाल	भोपाल	फन्दा	भौरी
78	भोपाल	भोपाल	फन्दा	रापडिया
79	भोपाल	भोपाल	फन्दा	रतनपुरसड़क

क्रमांक	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
80	भोपाल	भोपाल	फन्दा	दीपडी
81	भोपाल	भोपाल	फन्दा	छान
82	भोपाल	भोपाल	फन्दा	नीलबढ़
83	भोपाल	भोपाल	फन्दा	लामाखेड़ा
84	भोपाल	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कुरावर
85	भोपाल	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसूडल्या रामनाथ
86	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर	बालोड़ी
87	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर	गोपालपुरा
88	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर	तलेनी
89	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर	तारागंज
90	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर	तरलाखेड़ी
91	उज्जैन	शाजापुर	कालापीपल	पानखेड़ी कालापीपल
92	सागर	सागर	सागर	बड़तूमा
93	सागर	सागर	सागर	मकरोनियाबुजुर्ग
94	सागर	सागर	सागर	रजाखेड़ी
95	सागर	सागर	सागर	सेमराबाग
96	सागर	सागर	सागर	गंभीरिया
97	रीवा	सतना	मैहर	तिघराकला
98	रीवा	सतना	मैहर	गिरगिटा
99	रीवा	सतना	मैहर	हरदुआकला
100	रीवा	सतना	मैहर	परसोखा
101	रीवा	सतना	मैहर	उदयपुर
102	रीवा	सतना	मैहर	अरकंडी
103	रीवा	सतना	रामनगर	बम्हनाडी
104	रीवा	सतना	रामनगर	भिटारी
105	रीवा	सतना	रामनगर	भरतपुर
106	रीवा	सतना	रामनगर	न्युरामनगर उत्तरी
107	रीवा	सतना	रामनगर	न्युरामनगर दक्षिणी
108	रीवा	सतना	रामनगर	गोरहाई
109	उज्जैन	उज्जैन	बड़नगर	रूनिजा
110	उज्जैन	उज्जैन	बड़नगर	जाफ्लां
111	उज्जैन	देवास	खातेगाँव	नेमावर
112	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	खैरी
113	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	खजरी
114	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	इमलिया परियट
115	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	कठौंदा
116	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	ककरतला
117	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	करमेता
118	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	मंगेला
119	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	महाराजपुर
120	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	महगवां ककरतला
121	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	मड़ई

क्रमांक	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
122	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	बिलपुरा
123	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	पिपरिया उम.
124	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	रिछाई
125	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	रैगवां
126	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	सोनपुर
127	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	सुहागी
128	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	सूखा
129	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	उमरिया पिप.
130	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	उर्दुवाखुर्द
131	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	अमखेरा
132	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	औरिया
133	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	गधेरी
134	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	कुगवां
135	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	मोहनिया
136	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	मानेगांव
137	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पिडरई
138	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पिपरिया
139	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	तिलहरी
140	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	तेवर
141	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जमतरा
142	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	अंधुवा
143	उज्जैन	नीमच	जावद	मोरवन
144	उज्जैन	नीमच	जावद	नयागांव
145	उज्जैन	नीमच	जावद	अठाना
146	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	इमलिया
147	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	बम्हौरीखुर्द
148	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	बोदरी
149	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	कामती
150	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	चिरहकला
151	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	सांईखेड़ा
152	जबलपुर	नरसिंहपुर	सांईखेड़ा	जमाड़ा
153	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	खैरी सुदरास
154	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	बाबईखुर्द
155	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	बाबईकला
156	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	मोहपा
157	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	थलवाड़ा
158	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली	चीचली
159	जबलपुर	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गाडरवाराखेड़ा
160	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	शाढौरा
161	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	रूदुपुरा
162	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	बरोआनूराबाद
163	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	मालनपुर

क्रमांक	संभाग	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
164	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	पिपरोली
165	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	थर
166	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	गिरवई
167	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	पुरासानी
168	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	पुरानीछावनी
169	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	रायरू
170	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	शंकरपुर
171	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	वीरपुर
172	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	नौगांव
173	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव (बरई)	अजयपुर
174	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	खुरेरी
175	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	पदमपुरखेरिया
176	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	बड़ोरी
177	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	बड़ागांव
178	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	बेहटा
179	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	मोहनपुर
180	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	गिरगांव
181	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	भदरोली
182	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	रमौआ
183	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	सेंथरी
184	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	सूरों
185	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	चकरायपुर
186	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	तुरारी
187	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	जमाहर
188	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	जहांगीरपुर
189	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	जारगा
190	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	जलालपुर
191	ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	गणेशपुरा
192	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	इटायल
193	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	बरौठा
194	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	वरगंवा
195	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	बुजुर्ग
196	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	कर्रा
197	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	मगरौरा
198	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	सिमरियाताल
199	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	रामगढ़
200	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	सुल्तानपुर
201	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरागांव
202	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	चांदपुर
203	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	अरूं
204	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	गैडोलकला
205	रीवा	सतना	मैहर	हरनामपुर

● शिवानी वर्मा

गांव का विकास गढ़ेंगी ज्ञानवती सिंह

महिला सशक्तीकरण के बढ़ते कदम

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 में सम्पन्न हुए निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तय की गई थी। उमरिया जिले में कुल 10 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में 5 पुरुष तथा 5 महिलाएं चुनी गईं। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। अध्यक्ष पद के लिए सुश्री ज्ञानवती सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्री शिवनारायण सिंह को 7-3 मतों से शिकस्त दी। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती सीमा दिवाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्री मिथिलेश मिश्रा को 6-4 मतों से पराजित किया।

सुश्री ज्ञानवती सिंह (अनुसूचित जनजाति) का जन्म 5 जनवरी 1971 को आदिवासी बाहुल्य ग्राम ममान पोस्ट बकेली तहसील पाली में हुआ। पिता श्री ज्ञान सिंह सामान्य कृषक थे। सुश्री ज्ञानवती का एक छोटा भाई भी है जो पिता को खेती के काम में हाथ बंटाता है। सुश्री ज्ञानवती सिंह ने बी.ए. की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1994 में 23 वर्ष की उम्र में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और पाली की जनपद अध्यक्ष बनीं। वे 2002 में नगर पंचायत पाली की अध्यक्ष, 2005 में जनपद पंचायत पाली की अध्यक्ष, 2010 में सामान्य सीट में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। यह क्रम जारी रहा और 2015 में पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन हुई हैं।

छात्र जीवन से ही इनका रुझान राजनीति की ओर रहा। पहली बार इन्होंने 23 साल की उम्र में जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। समय का कारवां बढ़ता गया और प्रत्येक चुनाव में विजय श्री हासिल करती रहीं। सहज, सरल

सुश्री ज्ञानवती सिंह ने बी.ए. की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1994 में 23 वर्ष की उम्र में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और पाली की जनपद अध्यक्ष बनीं। वे 2002 में नगर पंचायत पाली की अध्यक्ष, 2005 में जनपद पंचायत पाली की अध्यक्ष, 2010 में सामान्य सीट में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। यह क्रम जारी रहा और 2015 में पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन हुई हैं।

एवं सौम्य स्वभाव की धनी सुश्री ज्ञानवती सिंह की क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ती गई, उसी का परिणाम है कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली बल्कि खुद की बनाई हुई इमारत पर खड़ी हुई है।

प्रदेश में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 50 प्रतिशत पदों में महिलाएं जीत कर आई हैं। इन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। घर के चौका, बर्तन, देहरी के अंदर, घूंघट में रहने वाली महिलाएं अब पुरुषों के साथ बैठकर जिले के विकास का निर्णय लेंगी।

महिला सशक्तीकरण के कदम आगे बढ़े हैं जो मिलकर विकास की रूपरेखा तय करते हैं। अपेक्षा है वे इस आदिवासी एवं वनांचल जिले के समग्र विकास की आधारशिला रखेंगी। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी भी महिला हैं।

सुश्री ज्ञानवती सिंह ने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा करने के साथ-साथ गांव के समग्र विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने की ललक के साथ हम उत्साहित हैं। प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने, हर घर में शौचालय, हर बच्चा स्कूल जाए, पेयजल की समुचित सुविधा, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने, कृषि हेतु सिंचाई का रकबा बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने आदि कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। "न काहू से दोस्ती न काहू से बैर" की कहावत को चरितार्थ करने के लिए जिले के सभी गांवों में समान रूप से आवश्यकतानुसार विकास का खाका गढ़ने की बात भी उन्होंने की।

● **छोटेलाल पटेल**
सहायक संचालक
जिला जनसंपर्क कार्यालय, उमरिया

ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ा मनरेगा

जलवायु परिवर्तन को रोकने तथा पर्यावरण सुधारने में मनरेगा का साथ लिया जायेगा। इसके लिये भारत सरकार ने ग्रीन इण्डिया मिशन व मनरेगा कन्वर्जेस से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। मनरेगा से ग्रामीण परिवारों को साल में सौ दिन का काम मिलेगा और ग्रीन इण्डिया मिशन से होने वाले वनाच्छादन से देश को हरा भरा कर पर्यावरण सुधार के काम किये जायेंगे।

जलवायु संरक्षण के लिये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संयुक्त कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना से पर्यावरण को सहेजने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को साल में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। ग्रीन इण्डिया मिशन को लाने के पीछे सरकार का मकसद जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक कारणों को रोकना है।

सरकार का उद्देश्य ग्रीन इण्डिया मिशन से वनाच्छादन के माध्यम से पर्यावरण को संतुलित करना है, वहीं मनरेगा का मकसद साल में सौ दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मुहैया कराना है। ग्रीन इण्डिया मिशन को मनरेगा के साथ जोड़कर पर्यावरण सुधारने की कवायद से दोनों मकसद में सरकार कामयाब हो जाएगी। साथ ही वनाच्छादित क्षेत्रों के रहवासियों को आजीविका के साथ भी जोड़ा जा सकेगा।

ग्रीन इण्डिया मिशन और मनरेगा के कन्वर्जेस से विभिन्न प्रजातियों के पौधों को रोपकर 50 लाख हैक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही वनों पर आश्रित गरीब तबके को आजीविका से जोड़कर उनका जीवन स्तर में सुधार लाना है।

मनरेगा से ग्रामीण परिवारों को सौ दिन का रोजगार मुहैया कराया जायेगा। ये ग्रामीण परिवार पौधरोपण के लिये गड्ढे खुदाई, पौधारोपण तथा निंदाई-गुड़ाई का कार्य करेंगे, जिसकी मजदूरी मनरेगा से मिलेगी। अच्छी प्रजाति के पौधों की पूर्ति केन्द्र तथा राज्य की 75:25 की भागीदारी होगी। साथ ही ग्रीन इण्डिया मिशन से पौधों की प्रजाति का निर्धारण, गुणवत्ता तथा नर्सरी का कार्य ग्रीन किया जायेगा।

तीस लाख परिवारों की आजीविका संवर्धन का लक्ष्य

ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत दस सालों में 1 करोड़ हैक्टेयर वनभूमि को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से मनरेगा तथा ग्रीन इण्डिया मिशन के कन्वर्जेंस से 50 लाख हैक्टेयर वनभूमि में वृक्षारोपण का विकास करना है। इसी के साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले तीस लाख गरीब परिवारों को आजीविका के साथ जोड़ना है। सरकार का मूल मकसद वन क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कार्य योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया होगा, वनीकरण के माध्यम से आजीविका के स्त्रोत निर्मित होंगे तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोककर पर्यावरण सतुंलन की दिशा में सकारात्मक प्रयास होगा। मनरेगा तथा ग्रीन इण्डिया मिशन के कन्वर्जेंस के तहत गांव की सामुदायिक जमीन, पडत राजस्व भूमि, शिफ्टिंग कृषि क्षेत्र आदि जमीन शामिल होगी जहां पौधों का रोपण कर वनाच्छादित किया जा सकेगा।

क्रियान्वयन

मनरेगा तथा ग्रीन इण्डिया मिशन के कन्वर्जेंस से वनीकरण के लिए की जाने वाली गतिविधियों के लिये विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। जिसके तहत बारिश पूर्व तक पौध रोपण के लिये जमीन का चयन करना, जल संरक्षण के लिये जल संरचनाओं का निर्माण, अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेंच का निर्माण, गली प्लग का निर्माण, चैकडेम निर्माण तथा पौधरोपण के लिये गड्ढे खोदे जाना आदि गतिविधियां की जावेंगी।

बारिश प्रारंभ होने पर पौधरोपण कार्य होगा। इसके पश्चात पौधों के संरक्षण के लिए फैंसिंग का कार्य किया जावेगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार पौधों को पानी देने की व्यवस्था भी होगी।

● **अनिल गुप्ता**

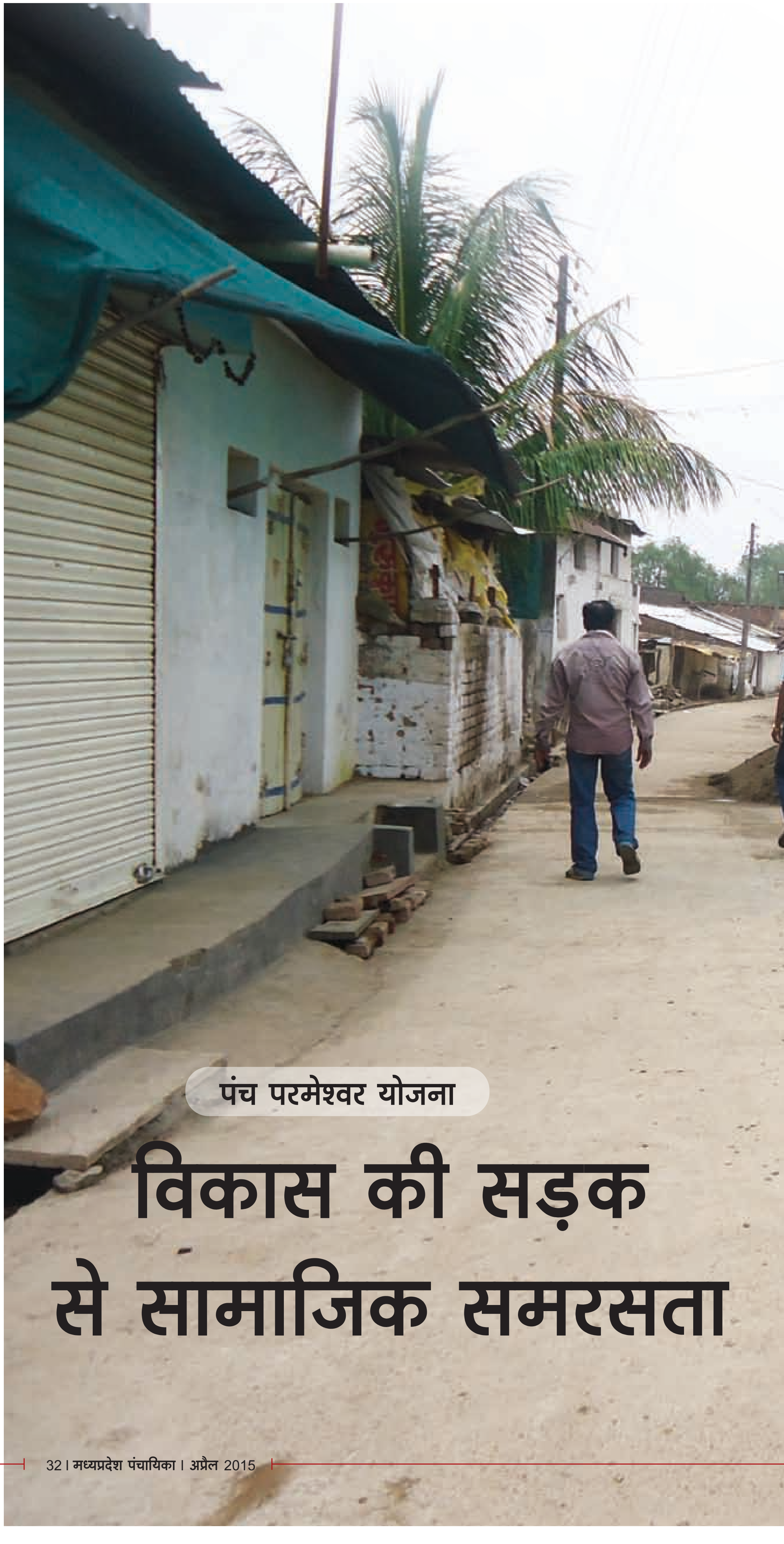

पंच परमेश्वर योजना

विकास की सड़क से सामाजिक समरसता

जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बसी है छैगांवमाखन जनपद की ग्राम पंचायत सुरगांवजोशी। इस ग्राम पंचायत की विडंबना थी कि यहां लोगों के पास पर्याप्त पैसा होने पर भी पंचायत में विकास की धुरी ठहरी हुई थी, कारण था लोगों में आपसी मनमुटाव होना। ग्राम पंचायत में विकास कम, विवाद ज्यादा थे गांव में पक्के भवन तो बने थे परंतु गांव की गलियां कच्ची व कीचड़ से सनी थीं। पंचों के आपस में विवाद होने के कारण पंचायत की बैठकें भी बहुत ही कम हो पाती थीं। इस पंचायत में ग्रामीणों द्वारा आपसी रंजिश के चलते 13 स्थानों पर शिकायतें दर्ज करवा रखी थीं। जिस समय पंचायत में विकास गर्त में जाने लगा था उसी समय प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना पंचपरमेश्वर प्रारंभ हुई अन्य पंचायतों की भांति ही सुरगांवजोशी पंचायत में भी पंचपरमेश्वर अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट मार्ग के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गईं। सुरगांवजोशी के लोगों में लिये यह पहला अवसर था जब उनके गांव में पक्की सड़क बन रही थी। लोगों में आपसी समन्वय न होने के कारण गांव की लगभग 25 गलियां गंदगी का घर बनकर बीमारियों को पनाह दे रही थीं। पंचपरमेश्वर योजना अंतर्गत आस-पास की ग्राम पंचायतों में बने पक्के मार्गों को देखकर सुरगांवजोशी के लोगों ने भी इस योजना से अपने गांव की गंदगी को दूर कर विकास के मार्ग का निर्माण करने की मन में ठान ली थी।

पंचपरमेश्वर योजना और मनरेगा योजना के समन्वय द्वारा सुरगांवजोशी में 4.02 लाख रुपये की लागत से पक्के मार्ग का निर्माण किया जाना तय हुआ और पहले मार्ग निर्माण के लिए जगदीश चम्पालाल से नथ्थू की दुकान की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। यह गांव की वह गली थी जो ढलान में बनी थी ओर गांव के घरों से निकलने वाला अधिकांश निस्तारी पानी इसी गली में से बहता था अतः यह गली एक गटर का रूप ले चुकी थी। नथ्थू पिता श्यामलाला बताते हैं कि इस गली की गंदगी के चलते उनकी किराना दुकान पर व्यवसाय बहुत कम हो पाता था परंतु अब पक्की सड़क बन जाने से ग्राहकी में दोगुनी वृद्धि हो गयी है। मनरेगा के समन्वय से बने पंचपरमेश्वर योजना के एक पक्के मार्ग से सुरगांवजोशी के लगभग 100 परिवारों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल गयी है।

सुरगांवजोशी में बने पंचपरमेश्वर के पक्के मार्ग ने वहां के निवासियों के विचारों में भी परिवर्तन कर दिया है गांव के श्री चंद्रशेखर पटेल बताते हैं कि गांव के लोग इस विकास कार्य से इतना प्रभावित हुए हैं कि सभी लोगों द्वारा अपनी शिकायतें वापिस ले ली गई हैं और अब सभी लोग गांव में विवाद की जगह विकास चाहते हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि यदि पंचपरमेश्वर से बने मार्ग जैसा मार्ग गांव में कभी पहले बन जाता तो शायद गांव के लोग आपसी रंजिश को भुलाकर विकास के नवीन सोपानों की ओर बढ़ गये होते।

● **अभिषेक तिवारी**

खण्डवा जिले में पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत 2158 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से माह मार्च 2015 तक 1570 कार्य पूर्ण किये गये। पूर्ण कार्यों के द्वारा जिले में 160.84 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का निर्माण कराया गया। योजनांतर्गत 7446.55 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाकर पूर्ण कार्यों पर 6329.6 लाख रुपये व्यय किये गये। मनरेगा अंतर्गत 1912.72 लाख रुपये राशि पंचपरमेश्वर मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी है।

सम्पूर्ण स्वच्छता की

मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है बैतूल जिसके दक्षिणी छोर पर मुलताई विकासखण्ड का एक गांव है चौथिया। अन्य गांवों की तरह इस गांव के 238 परिवारों में से ज्यादातर परिवार खुले में शौच करते थे। लोगों ने स्वयं और प्रशासन ने शौचालय तो बनवाये थे लेकिन इसके उपयोग में लोगों की दिलचस्पी कम थी।

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे "स्वच्छता कार्यक्रम" में समुदाय के नेतृत्व विकास एवं सामुदायिक स्वामित्व के भाव का विकास हो। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकासखण्ड स्तर पर समुदाय प्रेरिकरण विधाओं में प्रशिक्षित प्रेरकों के दल का निर्माण कर ग्रामों में समुदाय आधारित स्वच्छता पद्धतियों से क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाई गई। इसी क्रम में प्रथम चरण में राज्य से 7 जिलों में यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिसमें बैतुल एक जिला है और प्रगति की ओर अग्रसर है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकासखण्ड स्तर पर समुदाय प्रेरिकरण विधाओं में प्रशिक्षित प्रेरकों के दल का निर्माण कर ग्रामों में समुदाय आधारित स्वच्छता पद्धतियों से क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाई गई। इसी के तहत सामूहिक प्रयास और समुदाय की निगरानी से दिसम्बर 2014 में चौथिया में कार्य प्रारम्भ हुआ तथा अल्पावधि में खुले में शौच मुक्त ग्राम बन गया।

शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने तथा शौचालय उपयोग में ग्राम समुदाय को नेतृत्व ओर जवाबदेही निर्वाह करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड से 3-4 इच्छुक व्यक्तियों का जिला स्तर पर चयन किया जाकर समुदाय अभिप्रेरण पद्धतियों का राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रशिक्षण में प्रशिक्षित श्री कचरू बांरगे ने चौथिया के ग्रामवासियों को खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को शर्म और घृणा के विचारों से ट्रिगर किया। यह कार्य आसान नहीं था। उन्होंने अपनी एक टोली बनाकर मुहल्लों में जा-जाकर पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को शौच स्थान पर ले जाकर समझाया कि कैसे बाहर किया गया शौच हमारे शरीर को विषाक्त करता है और कैसे अनजाने ही हम एक दूसरे का मल खा रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लाक की ही एक महिला अनिता नारे का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने बाहर शौच करने से मना किया, अपने घर को छोड़ पति को शौचालय निर्माण के लिए विवश कर देश में ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार के उदाहरणों से श्री कचरू और उनकी टीम ने लोगों को न केवल यह समझाया कि हमें स्वयं के साधनों और स्वच्छ भारत मिशन की सहायता राशि से शौचालय बनाना चाहिए बल्कि यह समझाने में भी कामयाब हुए कि खुले में शौच एक सामूहिक समस्या है और सामूहिक प्रयास और निगरानी से ही गांव मलजनित बीमारी से मुक्त हो सकता है।

उनके इस प्रयास से गांव में महिलाओं और पुरुषों के दो निगरानी दल बन गए। पुरुष

दल का नेतृत्व मंचितलात, धनराज, रमेश, सुमरन, संतोष, कमलेश, गुरू कर रहे थे जबकि महिला निगरानी दल में राधा, सयाबाई, रुकमणि, वेदि, बेबी, अंजु, ललिता, गायत्री और रामप्यारी शामिल थीं। ये सब शौच के समय बाहर जाने वालों का शौचालय बनाने और जिनके पास शौचालय है उसका उपयोग करने के लिए विनती करने लगे। गांव की सरपंच भी इसमें शामिल हुई। लोगों में मांग बढ़ी तो उन्होंने सरकारी मदद से शौचालय बनवाना शुरू किया। इस बीच जो बाहर जा रहे थे उनके शौच पर यही दल मिट्टी डालकर ढंकने लगा। करीब डेढ़ महीने में सभी के यहां शौचालय बन गए।

इसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो बाहर जाना नहीं बंद कर रहे थे। ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें निर्णय हुआ कि गांव में लाउड स्पीकर से उनके नाम को उद्घोषित किया जाए। इसके लिए एनाउन्सर को सूचना मोबाइल से दी जाती और एनाउन्सर शुरू हो जाता इसमें यह

ओर समुदाय के ठोस कदम

समझाया जाता कि शौचालय होने पर भी शौच के लिए बाहर जाना नहीं चाहिए। नाम एनाउन्स होने की बदनामी ने ऐसे लोगों को भी शौचालय जाने पर मजबूर कर दिया जो शौचालय में जाना पसंद नहीं करते थे।

प्रेरकों के दल और निगरानी समिति को जिला और ब्लॉक पंचायत के अधिकारियों ने न केवल शासकीय धन को पंचायत को उपलब्ध कराकर मदद की बल्कि शौचालय निर्माण की सामग्री तथा राजमिस्त्री उपलब्ध करवाकर शौचालय बनवाने तथा सबेरे की निगरानी में शामिल होकर उनके हौसले को बढ़ाने तथा उनकी गतिविधियों को वैधता प्रदान करने में मदद की।

दिसम्बर 2014 में चौथिया में कार्य प्रारम्भ हुआ तथा अल्पावधि में खुले में शौच मुक्त ग्राम बन गया। कचरू बारंगे और उनके साथियों का दल स्वच्छता दूत के रूप में उभरे हैं जो स्वच्छता में समुदाय की भूमिका की न केवल समझ रखते हैं बल्कि उन्होंने इसे जमीन पर क्रियान्वित कर यह आशा जगाई है कि सरकारी प्रयासों से कचरन जैसे ग्रामीण स्वयंसेवकों को जोड़कर स्वच्छ भारत अभियान को जनांदोलन बनाया जा सकता है।

बैतूल जिले के कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर पाटिल इस प्रक्रिया में गहरी दिलचस्पी लेते हुए इस पूरे जिले में सुनियोजित रूप से फैला रहे हैं। वे न केवल ग्रामीण प्रेरकों से सीधे बात कर उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं बल्कि सार्वजनिक समारोहों में इन्हें पुरस्कृत करते हैं। इसके अतिरिक्त अभियान से मिलने वाली धनराशि पंचायतों को शीघ्रता से उपलब्ध हो, हितग्राहियों के लिए ग्राम पंचायतें गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीदें और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से बेहतर शौचालय का निर्माण हो इसके लिए ब्लॉक अधिकारियों, स्वच्छता समन्वयकों तथा तकनीकी अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण कर क्रियान्वयन की समीक्षा करते हैं।

इस अभियान में दो संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्यान्ह भोजन की महिला स्वसहायता समूह और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति का। इनके सदस्यों ने सुबह शाम निगरानी दल के साथ मिलकर बाहर शौच जाने वालों को रोकने में और शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

बैतूल जिले के मुलताई ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतों में इसी विधि से शौचालय निर्माण और शौचालय उपयोग का अभियान चल रहा है। अगले 2-3 महीनों में ये सभी ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो जाएंगी। इस गतिविधि से प्राप्त सीख और दृढ़ निश्चयी स्वच्छता दूतों का प्रेरक दल के रूप में उपयोग कर सम्पूर्ण बैतूल जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है। शुरुआत हो गई है तो परिणाम हासिल होकर रहेगा।

लेंदागोंदी भी इसी प्रकार की गतिविधियों द्वारा दो माह से कम समय में खुले में शौच मुक्त बना। ग्राम में न केवल 100 से ज्यादा शौचालय बने बल्कि सभी ने इसका उपयोग किया। वहाँ महिलाओं और बच्चों के समूह ने बाहर शौच करने जाने वाले के सामने ताली बजा-बजा कर शर्मसार किया। नतीजतन चाहे 50 वर्ष के भाऊजी हों या 50 वर्ष की कनोती बाई, इनके जैसे सैकड़ों ग्रामीणों ने बाहर शौच करना बंद किया। पूछने पर वे कहते हैं कि पहले जब महिलाएँ, बच्चे ताली बजाते तो गुस्सा आया फिर शर्म आने लगी और हमने शौचालय के उपयोग पर और जिनके पास नहीं थे उन्होंने बनवाने पर ध्यान दिया। अब इन्हें अच्छा लगता है। इन्होंने अपना संस्कार बदला तो गांव में एक गर्व यात्रा निकली और नारा लगा- बंद कर दी, बंद कर दी, खुले में शौच बन्द कर दी। जिला बैतूल में इसी प्रकार कुशल प्रेरकों के सहयोग से समुदाय की भागीदारी के साथ तथा प्रशासन के कुशल नेतृत्व में कई ग्राम सम्पूर्ण स्वच्छता की और धीरे-धीरे किन्तु ठोस कदम बढ़ा रहे हैं।

● अजीत तिवारी

जल संव

प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों की सुदृढ़ आजीविका के लिए जल संरक्षण तथा संवहनीय कृषि उत्पादन मूलभूत आवश्यकता है। अतः ऐसे वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य के साथ-साथ कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और आजीविका उन्नयन के समेकित उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2009 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा राज्य शासन द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 6.65 लाख हैक्टेयर में उपचार हेतु रुपये 798 करोड़ की 115 परियोजनायें प्रारंभ की गई थीं। कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में उत्तरोत्तर विस्तार हो रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 5-6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ वर्ष 2014-15 में कार्यक्रम का विस्तार 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हो गया है। एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में रुपये 3481 करोड़ की लागत से 511 परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं।

कार्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन को परिणाम मूलक बनाने के लिए जो विशिष्ट प्रयास किये गये हैं वे निम्नानुसार हैं :-

- परियोजना स्तर पर विषय विशेषज्ञों की पूर्णकालिक वाटरशेड टीम उपलब्ध करायी गई है।
- कार्यक्रम में 54 स्वयं सेवी संगठनों को भागीदार बनाया गया है। इसके साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत 10 कॉरपोरेट संगठनों को भी कार्यक्रम भागीदार बनाया गया है।
- परियोजनाओं की आयोजना के लिए रिमोर्ट सेंसिंग आंकड़ों का उपयोग कर 1:10000 के पैमाने पर खसरा आधारित एक्शन प्लान तैयार किये गये हैं।
- क्षमतावर्धन एवं कौशल विकास के लिए देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय किया गया।
- कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पैकेज ऑफ प्रेक्टिस अपनाई गई है। साथ ही तकनीकी सहयोग एवं सलाह के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों से भी समन्वय किया गया है। कार्यक्रम की गतिविधियों के फलस्वरूप परियोजना क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी के उत्पादन में औसतन 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

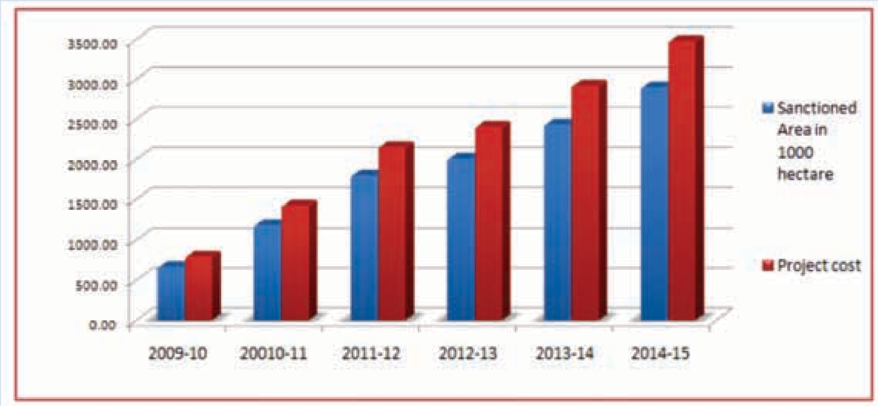

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम

र्धन के साथ आजीविका

कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी

दमोह जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत माइक्रोवाटरशेड मुड़ा-मुआरी में विविध जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य मेढ़ बंधान, गली प्लग एवं चैक डेम के कार्य कराये गये हैं। इन कार्यों से कुल 19 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई है जिसके फलस्वरूप 11 हैक्टेयर एक फसलीय भूमि को द्विफसलीय क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है और 8 हैक्टेयर पड़त भूमि को भी पुनः उत्पादन योग्य बनाकर द्विफसलीय क्षेत्र में विकसित किया गया है। कृषि उत्पादन में संवहनीय बढ़ोतरी के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से धान, गेहूं, चना, अरहर, उड़द एवं सोयाबीन के प्रजनक बीज उपलब्ध कराये गये। पैकेज ऑफ प्रेक्टिस को अपनाये जाने से परियोजना क्षेत्र में जहां पूर्व में कृषि उत्पादन 20-22 क्विंटल प्रति हैक्टेयर था वहीं वर्तमान में 30-32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर्ज किया गया है।

पेयजल समस्या का निदान

दतिया जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत “प्रारंभिक कार्यकलाप मद” से सहरिया बाहुल्य ग्राम गोविन्द नगर में पेयजल समस्या का निराकरण सौर ऊर्जा से संचालित पम्प और जल वितरण प्रणाली स्थापित कर किया गया है। इससे पहले गांव में पानी के लिए कोई स्थानीय स्त्रोत नहीं था। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ता था। योजना के तहत गांव में ही एक नलकूप का खनन किया जाकर इसके साथ 1.25 हार्स पावर का सौर ऊर्जा चलित पम्प स्थापित किया गया है तथा 1000 लीटर की पाइप लाइन बिछाकर 54 नल कनेक्शन पूरे गांव दिये गये हैं। संपूर्ण कार्य पर रुपये 6.25 लाख का व्यय हुआ है। कार्य के फलस्वरूप 84 परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

● शरद जैन

किसान भाईयों से यह अपील की जाती है कि कृपया फसल अवशेष को खेत में न जलावें इससे पर्यावरण, पशु-पक्षी, वन एवं मृदा को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

नरवाई को जलाना
जैव विविधता पर खतरा

आज के दौर में औद्योगिकीकरण तथा कृषि क्षेत्र में मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण फसलों की कटाई हार्वेस्टर द्वारा की जा रही है, जिससे खेत में लगभग 1-1.5 फुट की ऊंचाई के फसल अवशेष छूट जाते हैं, आगामी फसल की बुवाई में कठिनाई से बचने के लिए किसान इन फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देते हैं।

फसल अवशेष जलाने के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं?

- **वायुमण्डल पर प्रभाव-** हार्वेस्टर द्वारा लगभग 1-1.5 फुट की ऊंचाई से फसल कटाई की जाती है जिससे प्रति हैक्टर लगभग 3-3.5 टन फसल अवशेष खेत में छूट जाते हैं। प्रति टन धान की फसल अवशेष को जलाने पर जिसमें 70 प्रतिशत कार्बन पाया जाता है इससे 3 कि.ग्रा. कणिकीय पदार्थ, 60 कि.ग्रा. कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 कि.ग्रा. कार्बन डाइऑक्साइड, 199 कि.ग्रा. राख तथा 2 कि.ग्रा. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अन्य जहरीली गैसें वायुमण्डल में उत्सर्जित होती हैं। धान के पुआल में लगभग 2 प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, जो जलाने पर नाइट्रस आक्साइड बनकर वायुमण्डल में मिलती है तथा फसल अवशेष जलाने पर भारी मात्रा में धुएं के साथ कणिकीय पदार्थ भी वायुमण्डल में मिलते हैं जिससे मनुष्यों में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **मृदा पर प्रभाव-** फसल अवशेष जलाते समय मृदा की ऊपरी परत जो पोषक तत्वों, सूक्ष्म जीवों एवं कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत है इसका ताप बढ़कर 75 से 80 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिससे 1 से 2 सेंटीमीटर तक के सूक्ष्म जीव एवं कार्बनिक पदार्थ जलकर नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाते समय उन पोषक तत्वों का सबसे अधिक नुकसान होता है जो गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे सल्फर, नाइट्रोजन एवं कार्बन; जबकि भारत की मृदा में पहले से ही सल्फर, नाइट्रोजन एवं कार्बन का स्तर कम है।
- **सूक्ष्म जीवों एवं कीट पतंगों पर प्रभाव-** फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के अंदर के फंगस, बैक्टीरिया, दीमक, अन्य सभी सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे हानिकारक कीटों के साथ असंख्य लाभकारी जीव जैसे मधुमक्खी, केंचुआ एवं चींटी भी जलकर नष्ट हो जाते हैं।
- **जैवविविधता पर प्रभाव-** फसल अवशेषों को जलाते समय कई बार आग खेत से लगे जंगलों में पहुंचकर विकराल रूप ले लेती हैं जिससे जंगलों के हिरण, चूहा, सांप, खरगोश, नीलगाय तथा वे समस्त जीव भी नष्ट

राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति 2014

फसलों का क्षेत्रफल बढ़ने से फसल की कटाई हार्वेस्टर द्वारा की जा रही है। इसके बाद अवशेषों को किसान आग लगाकर जला रहे हैं जिससे पर्यावरण, मृदा एवं जैव विविधता को भारी क्षति हो रही है। इसके लिये भारत सरकार ने वर्ष 2014 में फसल अवशेष प्रबंधन नीति बनाई जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- फसल अवशेषों को न जलाकर मिट्टी में मिलाना, मल्चिंग करना या संग्रहित कर पशुओं के लिए चारे में प्रयोग करना।
- फसल अवशेषों का प्रयोग चारकोल बनाने, विद्युत उत्पादन, पेपर, बोर्ड, इथेनाल तथा बंडल बनाकर उस पर मशरूम की खेती करना।
- फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषकों में जन जागरूकता लाना।
- फसल अवशेषों को जलाने पर नियंत्रण रखने के लिए बने उचित नियमों का पालन करना।

हो जाते हैं जो पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। जैवविविधता के लिए यह आग खतरा बनते जा रही है।

- **पशु-पक्षियों पर प्रभाव-** फसल अवशेषों को जलाने के कारण चारे की उपलब्धता कम होने लगती है। एक ओर चारे की कमी वहीं दूसरी ओर मानसून का देरी से आना पशुधन को पर्याप्त मात्रा में चारा की आपूर्ति कराने में असमर्थ है। जिससे असंख्य पशु काल के गाल में समा जाते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्रीय पशुओं एवं राजस्थान की ओर से आने वाले भेड़, ऊंट एवं गौवंशीय पशुओं पर देखा जा सकता है। फसल अवशेषों पर पलने वाले इल्लियां, दीमक, कीट, टिड्डे, एवं चूहे जो पक्षियों की आहार श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा है अवशेषों के साथ जलकर नष्ट हो जाते हैं।

फसल अवशेष को पहले क्यों नहीं जलाया जाता था?

पहले (2005) में मध्यप्रदेश में रबी का क्षेत्रफल कम था परन्तु कृषकों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण अब 2012-2013 में सिंचित क्षेत्रफल 7 लाख हैक्टर से बढ़कर 27 लाख हैक्टर तथा वर्ष 2005 में गेहूँ एवं धान का उत्पादन क्रमशः 73 एवं 13 लाख टन से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 193 एवं 70 लाख टन तक प्राप्त हुआ है। खाद्यान्न फसलों में भूसे एवं दाने का अनुपात 1.3 से 1.6:1 तक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जितना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, उसी दर से फसल अवशेष का उत्पादन भी बढ़ा है।

फसल अवशेष प्रबंधन की उचित तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान इसको आग लगाकर जला देते हैं। पर्यावरण, मृदा एवं मूल्यवान चारे को नष्ट होने से बचाने के लिए व्यापक जन-जागृति के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

फसल अवशेष जलाने को रोकना क्यों जरूरी है?

फसल अवशेष जलाने की प्रक्रिया पर्यावरण, मृदा, पशु-पक्षी, कीट, पतंग एवं जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द रोकना जरूरी है। अन्यथा यह जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।

इसके उपाय क्या हैं?

निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर फसल अवशेष को जलाने से बचाया जा सकता है।

रिपर तथा बिन को जोड़कर फसल अवशेष से भूसा बनाना- खेत में खड़ी नरवाई को ट्रेक्टर चलित रिपर से संग्रहित करके बिन में भूसा बनाकर एकत्र किया जा सकता है जिसका उपयोग पशुओं के लिए चारे में किया जा सकता है।

रोटा वेटर चलाकर मिट्टी में मिलाना- खेत में खड़ी गेहूं क्या धान की नरवाई को रोटा वेटर से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी में मिला दिया जाता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक है।

फसल अवशेष के उपयोग क्या हैं?

- पशुओं के लिए चारे में
- कम्पोस्ट खाद बनाने में
- फसल अवशेषों का प्रयोग बोर्ड, इथेनाल, विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है।
- फसल अवशेषों को संग्रहित कर उस पर मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।

फसल अवशेष को जलाने से बचने के विकल्प क्या हैं?

- रिपर एवं बिन से भूसा बनाकर एकत्रित किया जा सकता है।
- रोटा वेटर चलाकर नरवाई को मिट्टी में मिलाया जा सकता है।
- फसल अवशेषों को एकत्र कर बोर्ड, इथेनाल, विद्युत उत्पादन एवं कम्पोस्ट खाद बनाई जा सकती है।

एक किसान फसल अवशेष जलाने के पहले क्या सोचे? -

एक किसान फसल अवशेष को जलाने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें :-

- खेत में लगी आग से कितने जीव-जंतु जलकर नष्ट होंगे?
- खेत में लगी आग बढ़कर कहां तक पहुंच सकती है?
- आग लगाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा?
- आग लगाने से चारे का कितना नुकसान होगा?
- आग लगाने से मृदा, उर्वरता एवं सूक्ष्म जीवों, कीट-पतंगों तथा पशु-पक्षियों को कितना नुकसान होगा?

• रामरतन सिमैया

हिन्दुस्तान के वे छोटे-छोटे तथा अत्यन्त प्राचीन ग्राम समुदाय, जिनमें से कुछ आज तक कायम हैं, जमीन पर सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा दस्तकारी के मिलाप और एक ऐसे श्रम-विभाजन पर आधारित हैं, जो कभी नहीं बदलता और जब कभी एक नया ग्राम समुदाय आरम्भ किया जाता है, तो पहले से बनी-बनाई और तैयार योजना के रूप में काम में आता है। सौ से लेकर कई हजार एकड़ तक के रकबे में फैले हुए इन ग्राम समुदायों में से प्रत्येक एक गठी हुई इकाई होता है, जो अपनी जरूरत की सभी चीजें पैदा कर लेता है। पैदावार का मुख्य भाग सीधे तौर पर समुदाय के ही उपयोग में आता है, और वह माल का रूप धारण नहीं करता। इसलिए यहाँ पर उत्पादन उस श्रम-विभाजन से स्वतंत्र होता है, जिसे मालों के विनिमय ने मोटे तौर पर पूरे हिन्दुस्तानी समाज में चालू कर दिया है। केवल अतिरिक्त पैदावार ही माल बनती है, और यहाँ तक कि उसका भी एक हिस्सा उस वक्त तक माल नहीं बनता, जब तक कि वह राज्य के हाथों में नहीं पहुँच जाता। पंचायतों में सुनियोजित श्रम-विभाजन और वर्गीकरण को इस आलेख के माध्यम से विस्तारित कर रही हैं मुक्ति श्रीवास्तव।

पंचायतों में सुनियोजित श्रम विभाजन

उन्नीसवीं सदी के अंत में इन कामन्स का निजीकरण तीव्र हो गया। सरकार की न्यायिक और विधायी कार्यवाहियों से मालिकान देह पर सामुदायिक नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। नई कानूनी अदालतों ने विवाद निपटाने की देसी ग्रामसभाई पद्धति को विस्थापित करना शुरू कर दिया था। पंजाब टेनेन्सी एक्ट, 1868 के पारित होने से काश्तकारों के सार्वजनिक भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार मान्य होने लगे थे। 1866 में पंजाब की चीफ कोर्ट की स्थापना हुई और 1872 में पंजाब लॉज एक्ट आया जिसने लोगों को पंचायतों के अलावा झगड़े सुलझाने का एक विकल्प उपलब्ध करवाया। धीरे-धीरे राज्य की एकाधिकारी शक्ति यहां भी स्थापित होती चली गई। होशियारपुर के बन्दोबस्त अधिकारी ने 1879-81 में ही लिखा : ग्राम समुदाय के बन्धन साल दर साल शिथिल होते प्रतीत होते हैं। पुरानी 'मालिकान-देह' पर ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारियों ने दखलकारों को उपयोग का अधिकार (Right of user) देना शुरू किया। आक्यूपेंसी अधिकार मालिकान देह के दुश्मन हो चले। इसने गोचर भूमि पर 'फ्री राइडिंग' की समस्या को जन्म दिया। 'प्रतिकूल कब्जे' की अवधारणा भी इस बीच पनपी। AIR 183 & CA 19PLR 1936 ने शामलात भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त को मजबूत किया। इस बीच ऐसा नहीं कि सद्भावी ब्रिटिश न्यायाधीशों ने समुदाय के गोचारण अधिकारों की रक्षा नहीं की। 73 PR 19882-74 PR 1885, 121 PR 1885, 54 PR 1886 & 41 PR जैसे कई निर्णय हुए जिनमें समुदाय को व्यक्ति के ऊपर तरजीह दी गई। लेकिन चीफ कोर्ट हमेशा ही निम्न अदालतों को, बाजार की शक्तियों को, व्यक्ति को महत्व देने वाले सामान्य न्यायिक वातावरण को, फुटकर समूहों (स्प्लिंटर ग्रुप्स) और व्यक्तियों के एकांगी कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती थी।

मालिकान-देह जैसी संस्थाओं का कमजोर पड़ना कारपोरेट नियंत्रण का कमजोर पड़ना था। फिर धीरे धीरे 'प्रतिकूल कब्जे' का एक नया वर्ग उभरा जिसने ग्रामीण वैयक्तिकता को काफी प्रोत्साहित किया। यों सहस्त्राब्दियों से चली आई पंचायतों का ध्वंस हुआ। जो ध्वस्त हुआ उसे बतलाने के लिये, पूर्णतः सहमत न होते हुए भी, मैं यहाँ मार्क्स की कृति 'पूँजी' के पहले भाग से भारतीय ग्राम समुदाय से संबद्ध विवरण को उद्धत करूँगी। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है :

'हिन्दुस्तान के वे छोटे-छोटे तथा अत्यन्त प्राचीन ग्राम समुदाय, जिनमें से कुछ आज तक कायम हैं, जमीन पर सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा दस्तकारी के मिलाप और एक ऐसे श्रम-विभाजन पर आधारित हैं, जो कभी नहीं बदलता और जब कभी एक नया ग्राम समुदाय आरम्भ किया जाता है, तो पहले से बनी-बनाई और तैयार योजना के रूप में काम में आता है। सौ से लेकर कई हजार एकड़ तक के रकबे में फैले हुए इन ग्राम समुदायों में से प्रत्येक एक गठी हुई इकाई होता है, जो अपनी जरूरत की सभी चीजें पैदा कर लेता है। पैदावार का मुख्य भाग सीधे तौर पर समुदाय के ही उपयोग में आता है, और वह माल का रूप धारण नहीं करता। इसलिए यहाँ पर उत्पादन उस श्रम-विभाजन से स्वतंत्र होता है, जिसे मालों के विनिमय ने मोटे तौर पर पूरे हिन्दुस्तानी समाज में चालू कर दिया है। केवल अतिरिक्त पैदावार ही माल बनती है, और यहाँ तक कि उसका भी एक हिस्सा उस

वक्त तक माल नहीं बनता, जब तक कि वह राज्य के हाथों में नहीं पहुँच जाता। अत्यन्त प्राचीन काल से ही यह रीति चली आ रही है कि इस पैदावार का एक निश्चित भाग सदा जिंस की शक्ल में दिए जाने वाले लगान के तौर पर राज्य के पास पहुँच जाता है। हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में इन समुदायों का विधान अलग-अलग ढंग का है। जिनका सबसे सरला विधान है, उन समुदायों में जमीन को सब मिलकर जोतते हैं और पैदावार सदस्यों के बीच बांट ली जाती है। इस प्रकार, उन आम लोगों के साथ-साथ, जो एक सदा एक ही प्रकार के काम में लगे रहते हैं, एक 'मुखिया' होता है, जो जज, पुलिस और वसूलदार का काम एक साथ करता है, एक पटवारी होता है जो खेती-बाड़ी का हिसाब रखता है और उसके बारे में हर बात अपने कागजों में दर्ज करता जाता है, और एक कर्मचारी होता है जो अपराधियों पर मुकदमा चलाता है, अजनबी मुसाफिरों की हिफाजत करता है और उनको अगले गांव तक सकुशल पहुँचा आता है, पहरेदार होता है, जो पड़ोस के समुदायों से सरहद की रक्षा करता है, आबपाशी का हाकिम होता है, जो सिंचाई के लिए पंचायती तालाबों से पानी बाँटता है, ब्राह्मण होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है, पाठशाला का पंडित होता है जो बच्चों को सिकता-पत्र पर लिखना-पढ़ना सिखाता है, पंचांग वाला ब्राह्मण या ज्योतिषी होता है, जो बुवाई, कटाई और खेत के अन्य हर काम के लिए मुहूर्त विचारता है, लोहार और बढ़ई होते हैं, खेती के तमाम औजार बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं, कुम्हार सारे गाँव के लिए बर्तन-भांडे तैयार करता है, नाई होता है, धोबी होता है, जो कपड़े धोता है, सुनार होता है और कहीं-कहीं पर कवि भी होता है, जो कुछ समुदायों में सुनार का और कुछ में पाठशाला के पंडित का स्थान ले लेता है। इन एक दर्जन व्यक्तियों की जीविका पूरे समुदाय के सहारे चलती है। अगर आबादी बढ़ जाती है, तो खाली पड़ी जमीन पर पुराने समुदाय की संरचना के मुताबिक एक नए समुदाय की नींव डाल दी जाती है। पूरी संरचना से एक सुनियोजित श्रम-विभाजन का प्रमाण मिलता है। किन्तु इस प्रकार का विभाजन हस्तनिर्माण में असंभव होता है, क्योंकि यहाँ तो लोहार और बढ़ई आदि हो जाते हैं। ग्राम-समुदाय में जिस नियम के अनुसार श्रम-विभाजन का नियमन होता है, वह एक प्राकृतिक नियम की भांति काम करता है, जिसके आड़े कोई नहीं आ सकता, और साथ ही हर अलग-अलग कारीगर-जैसे लोहार, बढ़ई आदि अपनी कार्यशाला में अपनी दस्तकारी की सारी क्रियाएँ परंपरागत ढंग से, किन्तु स्वतंत्र रूप से करता चलता है और अपने ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्राधिकार नहीं मानता। इन आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों में - जो लगातार एक ही रूप के समुदायों में पुनः प्रकट होते रहते हैं, और जब अकस्मात बरबाद हो जाते हैं, तो उसी स्थान पर उसी नाम से फिर खड़े हो जाते हैं- उत्पादन का संगठन बहुत ही सरल ढंग का होता है, और उसकी यह सरलता ही एशियाई समाजों की अपरिवर्तनशीलता की कुंजी है, उस अपरिवर्तनशीलता की, जिसके बिल्कुल विपरीत एशियाई राज्य सदा बिगड़ते और बनते रहते हैं और राजवंशों में होने वाले परिवर्तन तो मानो कभी रुकते नहीं। राजनीति के आकाश में जो तूफानी बादल उठते हैं, वे समाज के आर्थिक तत्वों की संरचना को नहीं छू पाते।

ग्राम-समुदाय में जिस नियम के अनुसार श्रम-विभाजन का नियमन होता है, वह एक प्राकृतिक नियम की भांति काम करता है, जिसके आड़े कोई नहीं आ सकता, और साथ ही हर अलग-अलग कारीगर-जैसे लोहार, बढ़ई आदि अपनी कार्यशाला में अपनी दस्तकारी की सारी क्रियाएँ परंपरागत ढंग से, किन्तु स्वतंत्र रूप से करता चलता है और अपने ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्राधिकार नहीं मानता। इन आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों में - जो लगातार एक ही रूप के समुदायों में पुनः प्रकट होते रहते हैं, और जब अकस्मात बरबाद हो जाते हैं, तो उसी स्थान पर उसी नाम से फिर खड़े हो जाते हैं- उत्पादन का संगठन बहुत ही सरल ढंग का होता है।

सजीव खेती में पौध पोषण की अवधारणा

पेड़-पौधों के वृद्धि व विकास के सारे घटकों भूमि, जल, वायु, सूर्य प्रकाश का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है।

वायु में लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत आक्सीजन, 0.03 प्रतिशत कार्बन डाईआक्साइड उपस्थित है। (यहां उल्लेखनीय है कि मानव निर्मित यूरिया में केवल 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है।)

हरे पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाई आक्साइड एवं पानी की अभिक्रिया से स्वयं के लिये भोजन (ग्लूकोस) का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा का संचय होता है। पेड़-पौधे श्वसन क्रिया द्वारा इस संचित ऊर्जा का उपयोग वृद्धि विकास के लिये करते हैं।

मित्रों, भूमि माता सजीव है। इसमें रहने वाले असंख्य सूक्ष्मजीव पेड़-पौधों को उनकी आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर पेड़ पौधों की जड़ों को देने का काम। अनुपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराना। जैविक खाद, इन सूक्ष्मजीवों का घर होती है। इन खादों के कम उपयोग से एवं रसायनों के उपयोग से ये मित्र जीव नष्ट हो जाते हैं।

मित्रों, विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि जैविक खादों से सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित ह्युमस पेड़ पौधों का संपूर्ण आहार है।

भूमि माता की आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है, कि आप उसमें उगने वाले पौधों से दाने/अनाज लेकर उन पौधों के शरीर को वापस उन्नत जैविक खाद के रूप में उसे लौटा दें। भूमि माता अनंतकाल तक, सजीव रहकर आपको शुद्ध, अमृततुल्य अन्न देती रहेगी।

भूमि माता का असली आहार जैविक खाद है, न कि रासायनिक उर्वरक। जैविक खादों के उपयोग से :-

- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है।
- भूमि की संरचना सुधरती है।
- भूमि की पोषण गुणवत्ता बढ़ती है।
- भूमि के लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है।
- भूमि में वायु संचार बढ़ता है।
- भूमि का पीएच मान संतुलित रहता है।

हमने अपने ग्रामीण प्रवास के दौरान पाया कि किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरक के रूप में मुख्यतया DAP, SSP, UREA का उपयोग किया जाता है।

एक ओर जहाँ ये उर्वरक हर वर्ष महँगे होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को हर वर्ष इनकी उपयोग मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। इन रसायनों के बढ़ते उपयोग से भूमि माता की उत्पादन क्षमता भी कम हो रही है।

दूसरी ओर हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर खाद का महत्व कम होता जा रहा है। आम तौर पर किसान भाई अपने पास उपलब्ध गोबर भूसा आदि को गांव के आस पास बने गड्ढों में जमा करते जाते हैं तथा इसी प्रक्रिया से खाद पकाते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे घूरा/रुखड़ा, उखेड़ा आदि नामों से ग्रामीण जानते हैं। इस प्रक्रिया में दो प्रकार से नुकसान होता है, एक तो बारिश का पानी इन गड्ढों में भर जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व बहकर नीचे चले जाते हैं। दूसरा, इसमें खाद पकाने में वर्षभर लग जाता है। इस खाद की रही सही ताकत तब और भी कम हो जाती है, जब किसान भाई इसे भर गर्मी (अप्रैल-मई) में खेतों में फेंक आते हैं। इससे गोबर खाद के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, उसकी पोषण गुणवत्ता कम हो जाती है।

मित्रों, हमारा यह प्रबल विश्वास है, कि फसलों को उगाने के लिए सारे संसाधन ग्रामों में मौजूद हैं। यदि किसान के अंदर का वैज्ञानिक जाग जाये, तो वह ग्रामस्तर पर ही इन उर्वरकों का बेहतर विकल्प तैयार कर सकता है। 1 बोरी DAP के खरीद मूल्य में

30-35 बोरी DAP से बेहतर उन्नत खाद बनायी जा सकती है। इसे बनाने में श्रम भी बहुत कम लगता है।

हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से ग्रामस्तर पर किसान वैज्ञानिक (उन्नतशील किसान) के सहयोग से हर रसायन का जैविक विकल्प बनाने में लगी है, और इस कार्य में हमें आशातीत सफलता मिल रही है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों के हजारों किसान रसायनों का बेहतर जैविक विकल्प बनाकर सफल प्रयोग कर रहे हैं।

आइये जानें रासायनिक उर्वरकों के ग्रामस्तर पर बेहतर जैविक विकल्प की सरल प्रक्रियाओं को -

मटका खाद (जीवामृत)

आवश्यक सामग्री - 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो ताजा गोबर गाय या बैल का, आधा किलो गुड़, आधा किलो दाल की चूरी/आटा, आधा किलो मेड़ पर की मिट्टी, 10 केले तथा 1 लीटर दूध।

विधि - इन सभी सामग्री को किसी पुराने मटके में मिलाकर, मटके को मिट्टी के ढक्कन से ढंककर 6 से 7 दिन (ठंड में 9 से 10 दिन) के लिये रखते हैं। मिश्रण को रोज काठी से हिलायें। इससे उत्तम जीवाणु कल्चर तैयार होता है।

उपयोग - मटका खाद को 200 लीटर पानी में घोलकर, कम्पोस्ट गोबर खाद में मिलाने से खाद की गुणवत्ता बढ़ती है।

मटका खाद को 200 लीटर पानी में घोलकर, पौधे के पास जमीन में देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि इस घोल को सूती कपड़े से छानकर फसलों में छिड़कते हैं तो फूल व फल अधिक लगते हैं।

इस मटका खाद को प्रत्येक सिंचाई जल के साथ (1 मटका प्रति एकड़) देवें। मटका खाद उपयोग से पेड़-पौधों का वृद्धि विकास बहुत अच्छा होता है।

उन्नत जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया- स्थान का चयन-खुला स्थान हो, मगर मध्यम छायादार हो। पानी की उपलब्धता हो।

प्रथम पद : वानस्पतिक/फसल अवशेष/गोबर को मिलाकर 4 फीट चौड़ाई के 8-10 फीट लम्बाई एवं 4-5 फीट ऊंचाई के बेड (शैय्या) भूमि के ऊपर तैयार कर लें। बेड (शैय्या) तैयार करते समय प्रत्येक 1 फीट की ऊंचाई पर 4-5 किलो दाल या मक्के की चुरी, 2 किलो गिट्टी खदान की चूरी तथा तालाब की मिट्टी (मुंडेर) की आधा इंच परत डालें।

बेड (शैय्या) तैयार करते समय मिश्रण में 10 प्रतिशत गोमूत्र वाला पानी आवश्यकतानुसार छिड़कें। मिश्रण को पॉलीथीन शीट से ढंककर या गोबर मिट्टी से लीपकर 30 दिनों के लिए रख देवें।

द्वितीय पद : 30-40 दिनों के बाद बेड की पलटीकर 10 प्रतिशत गोमूत्र वाला पानी आवश्यकतानुसार छिड़कें। मिश्रण को पॉलीथीन शीट से ढंककर या गोबर मिट्टी से लीपकर 30 दिनों के लिए रख देवें।

तृतीय पद : 60-70 दिनों के बाद पुनः बेड की पलटी कर बेड (शैय्या) में एक मटका खाद (जीवामृत) एवं 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा पानी में घोलकर अच्छे से मिला देवें। बेड (शैय्या) में आवश्यकतानुसार नमी छिड़कर मिश्रण को पुनः पॉलीथीन शीट से ढंककर या गोबर मिट्टी से लीपकर 30 दिनों के लिए रख देवें।

विशेष : ध्यान रहे पूरी प्रक्रिया के दौरान मिश्रण में नमी की मात्रा संतुलित रहे। मिश्रण में नमी की मात्रा के अनुमान के लिए मिश्रण का हाथ से लड्डू बनाकर देखें। यदि लड्डू बनता हो और लड्डू अंगुली मारने पर टूट जाता हो तो यह नमी उपयुक्त नमी कहलाएगी। ज्यादा या कम नमी से सूक्ष्मजीव सक्रियता प्रभावित होती है।

इस प्रकार से लगभग 90-100 दिनों में आपके खेत के लिए उन्नत जैविक खाद तैयार है। इस प्रकार से निर्मित खाद की 5-10 क्विंटल मात्रा प्रति एकड़ बोनी से पूर्व खेत में देवें। यह खाद समस्त पोषक तत्वों तथा लाभकारी सूक्ष्म जीवों से युक्त है। किसान भाई इसे खड़ी फसल में पौधे के पास रिंग बनाकर भूमि में भी दे सकते हैं। जैविक खाद को बारीक कर पौधों की जड़ों के पास देना चाहिये। कई किसानों नें जैविक खाद बारीक करने व उसे भूमि में देने का यंत्र भी बनाया है।

जिस प्रकार हम होटल के खाने की तुलना में घर का बना भोजन पसंद करते हैं। उसी प्रकार आपसे निवेदन है कि धरती चूँकि हमारी माँ है और फसल अन्नदाता इन्हें भी घर पर बना हुआ शुद्ध जैविक भोजन खिलायें पिछले 30 वर्षों से बाजार का रासायनिक भोजन खाकर इनका हाजमा बिगड़ सा गया है।

● **अजीत केलकर**

निर्विरोध जीतें सरपंच और ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के समय निर्विरोध निर्वाचित सरपंचों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। विभाग द्वारा इस बार पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। अब ऐसी ग्राम पंचायतें जहां सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उन्हें एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा, ऐसी ग्राम पंचायतें जहां सरपंच और सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उस ग्राम पंचायत को पांच लाख रुपये से पुरस्कृत किया जायेगा और ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच और सभी पंच महिला हैं और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उन्हें दस लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। शासन द्वारा जारी इस आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
आदेश

क्रमांक/एफ-13-2/2015/22/पं-2/2575 **भोपाल, दिनांक 18.03.2015**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक/एफ-13-2/06/22/पं-2, दिनांक 20.06.2006 द्वारा निर्विरोध सरपंच तथा ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने की पुरस्कार योजना प्रभावशील है। इस योजना की पुरस्कार राशि में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार पुरस्कार राशि निर्धारित की जाती है :-

क.	ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच निर्विरोध हुए हैं	पुरस्कार राशि एक लाख रुपये
ख.	ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं	पुरस्कार राशि पांच लाख रुपये
ग.	ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच एवं सभी पंच महिला है	पुरस्कार राशि दस लाख रुपये

2. निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

(1) चयन समिति द्वारा निर्विरोध निर्वाचित सरपंच/ग्राम पंचायत की जानकारी स्थानीय जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाएगी।

(2) प्ररूप 26-क में प्रकाशित निर्वाचन की अधिसूचना की पुष्टि निर्वाचन नियम 1995 के नियम 47 के अंतर्गत निर्विरोध निर्वाचन का रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से की जाकर ही स्थानीय जिला निर्वाचन शाखा द्वारा निर्विरोध निर्वाचित सरपंच एवं ग्राम पंचायत के नाम की सूची चयन समिति को प्रेषित की जाएगी।

3. चयन समिति

(1) कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य एवं सचिव
(3) प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कलेक्टर कार्यालय	-	सदस्य

4. इस योजना के फलस्वरूप आने वाले व्यय लेखा शीर्ष (मांग संख्या - 74, मुख्य शीर्ष - 2515, उपशीर्ष - 00, लघुशीर्ष - 196/197/198, योजना क्रमांक - 8391 - त्रिस्तरीय पुरस्कार (आयोजनेत्तर), उद्देश्य शीर्ष - 42, वितरण शीर्ष - 009) से विकलनीय होगा।

5. पुरस्कार राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों में कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकेगा।

(डॉ. अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नगरीय निकायों की सीमा में शामिल पंचायतों का विशेष ऑडिट

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न हो गए हैं। इन चुनावों में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में से 205 पंचायतें, नगर निगम, नगम पालिका की सीमा में शामिल की गई हैं। जो ग्राम पंचायतें नगरीय निकायों में शामिल हुई हैं उन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है लेकिन वे पूर्व में ग्राम पंचायतों के रूप में कार्य कर रही थीं और केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही थीं। अतः इस विघटित पंचायतों का विशेष ऑडिट कराना आवश्यक है। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश को इन पंचायतों का विशेष ऑडिट करवाने को कहा गया है। इस पत्र की विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशित की गई है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./पंचा.-ऑडिट/2015/3141 **भोपाल, दिनांक 26.03.2015**

प्रति,
संचालक,
स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश
मोती महल ग्वालियर मध्यप्रदेश।

विषय - नगरीय निकायों की सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों का विशेष आडिट।

प्रदेश की नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्ण कराये गये हैं।

2. प्रदेश की संलग्न सूची अनुसार 205 ग्राम पंचायतें नगर निगम, नगर पालिका की सीमा में शामिल की गई हैं तथा ग्राम पंचायतों को नगर परिषद के रूप में उन्नयन करके नगरीय निकायों के चुनाव पूर्ण कराये गए हैं।

3. जो ग्राम पंचायतें नगरीय निकायों की सीमा में शामिल की गई हैं, उन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, किंतु वे वर्षों से ग्राम पंचायतों के रूप में कार्य कर रही थीं तथा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विकास की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष अनुदान राशियां प्रदान की जाती रही है। इन राशियों का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है।

4. अतः विघटित ग्राम पंचायतों का विशेष आडिट एक माह के भीतर संपन्न कराकर आडिट रिपोर्ट संबंधित जिला एवं जनपद पंचायत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. जिले वार विघटित ग्राम पंचायतों के संपादित आडिट की प्रगति से इस संचालनालय को भी सूचित करने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में व्यय/उपयोग राशि का औचित्य प्रगति कार्य की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र से स्पष्ट होगी। अतः इन दोनों अभिलेखों की स्थिति से उपयोग की गई राशि की सद्पयोगिता तथा वसूली योग्य राशि की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में आवश्यक है। ऐसी किसी ग्राम पंचायत जिसमें प्रथम दृष्टया ही राशि गबन की स्थिति प्रकाश में आती है, तो इसके संबंध में संपरीक्षा दल प्रमुख द्वारा जानकारी कलेक्टर एवं इस संचालनालय के ध्यान में लाई जाए। अतः विशेष आडिट अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियाँ गठित करने को कहा है। जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 46 में किया गया है। यह समितियाँ त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य में सहयोग करने के लिए नीति-निर्देश तैयार करेंगी। राज्य शासन द्वारा जारी इस आदेश का प्रकाशन मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-16-2/2015/22/पं-2/ **भोपाल, दिनांक 24.03.2015**

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त, संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के गठन के संबंध में।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 46 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के तथा अधिनियम की धारा 47 के तहत् जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के लिए स्थायी समितियों के गठन करने का प्रावधान है। धारा 46 के अंतर्गत प्रभावशील मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत स्थायी समितियों के सदस्यों का पदावधि और काम-काज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 तथा धारा 47 के अंतर्गत प्रभावशील मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा कार्यकाल और काम-काज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 अवलोकनीय हैं। इनका भलीभांति अध्ययन आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत की तीन स्थायी समितियों के गठन की कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जाये। जहां तक जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों की स्थाई समितियों के गठन का प्रश्न है इस संबंध में आपका ध्यान पंचायत राज अधिनियम की धारा 47 (2) के तहत आकर्षित किया जाता है, जिसमें जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त एक या अधिक स्थायी समितियां भी गठित की जा सकती हैं तथा उपधारा (1) में उल्लेखित पांच समितियों को आवंटित विषयों को अतिरिक्त गठित समिति को पुर्नविभाजित करना होगा। इस हेतु उपधारा 2-क अनुसार विहित प्राधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य है।

3. जिला/जनपद पंचायत प्रत्येक स्थायी समिति में कम से कम पांच निर्वाचित सदस्य होंगे किंतु कोई भी सदस्य धारा 47 (7) के अनुसार एक ही समय में तीन से अधिक ऐसी समितियों का जो सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न हों सदस्य नहीं होगा।

4. धारा 47-क के खंड (क) के उपबंध अनुसार विधान सभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। (ख) संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, उस पंचायत में अपनी पसंद की किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा। (ग) जिला पंचायत की प्रत्येक समिति दो से अधिक ऐसे विधान सभा सदस्यों को जो उस जिला पंचायत के सदस्य हैं, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहयोजित करेगी कि विधान सभा का कोई भी सदस्य दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा।

5. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियां, कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और काम-काज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 के नियम 3 सदस्यों की संख्या का अवधारण, नियम 4 अनुसार सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर स्थायी समितियों का गठन तथा नियम 6 अनुसार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति तथा धारा 47 की उपधारा 4 के अनुसार विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति आदि के प्रावधानों का भली भांति सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। अतः उक्त उपबंध अनुसार स्थायी समितियों का समय-सीमा में गठन सुनिश्चित करें तथा आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश को ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in पर गठित समितियों की सूची उपलब्ध करायें।

(डॉ. अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों के रिक्त पद भरे जायेंगे

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में मध्यप्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत सचिव नियुक्त करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में सभी प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलें इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को एक सचिव नियुक्त करने को कहा गया था लेकिन अभी भी कुछ ग्राम पंचायतों में यह पद रिक्त है। अतः जिन ग्राम पंचायतों में पद रिक्त हैं वे शीघ्र ही इन पदों को भरें। राज्य शासन द्वारा जारी इस आदेश का मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./पंचा.-1354/2015/2500 **भोपाल, दिनांक 17.03.2015**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त,
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति बाबत।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-9/2012/22/पं-1, दिनांक 03 अक्टूबर 2012।

उक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत में एक सचिव नियुक्त किया जाना है। मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम असाधारण राजपत्र दिनांक 29 मार्च 2011 बनाया जाकर, ग्राम पंचायत सचिवों का जिला काडर बनाया गया है। नियम 5 (1) (ग) (दो) के अनुसार शासन के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के 01 जनवरी 2015 की स्थिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला स्तर से किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। कतिपय जिलों में उक्त निर्देशों का पालन आज पर्यन्त सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार जिले में नियमानुसार ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रति माह भरे, रिक्त पदों की जानकारी से अवगत करावें।

2. मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 6 के उपनियम 8 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति दर्शाने वाली जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, तथा प्रकाशित वरिष्ठता सूची की एक प्रति संचालनालय को अनिवार्य रुप से 30 अप्रैल 2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

ग्रामीण क्षेत्रों से उभरेंगी खेल प्रतिभायें

बालाघाट जिले के खैरलांजी विकासखण्ड में महात्मा गांधी नरेगा के ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना क्रियान्वयन से उत्कृष्ट विद्यालय ग्राम पंचायत खैरलांजी में अध्ययनरत बच्चों को खेलने के लिए समतल मैदान उपलब्ध करा दिया है। अब यहां अध्ययनरत नन्हे-मुन्ने बच्चे कक्षा से छुट्टी मिलने के बाद इस नव निर्मित मैदान में ऐसे उछलते-कूदते और दौड़ते नजर आते हैं मानो उन्हें मैदान के रूप में एक खुला संसार मिल गया हो, जहां वे स्वतन्त्र रूप से जी भर के खेलते हैं।

स्कूल से लगे लगभग 5 एकड़ ऊबड़-खाबड़ एक तरफ अत्यधिक ढलान भूमि को मनरेगा के ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना से स्कूल के छात्र-छात्राओं के खेलने के लिए समतल बना दिया गया है। इससे पहले यहां खेलना सम्भव नहीं हो पाता था। ढलान में रिटेनिंग वाल बनाकर मिट्टी आदि से खूब भराव किया गया जब तक कि अन्य हिस्से के समरूप न हो जाए। जॉबकार्ड धारी मजदूरों को इस कार्य से रोजगार तो मिला ही साथ ही विद्यार्थियों को खेलने योग्य समतल मैदान भी मिल गया। अब अध्ययनरत स्कूली छात्रों के लिए क्रिकेट के अलावा अन्य खेल खेलना आसान हो गया है। सुन्दरता और पर्यावरण के दृष्टि से मैदान के चारों तरफ वृक्षारोपण कार्य भी किया गया। मैदान का समतलीकरण होने से विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ इस समतल मैदान में खेलते हैं और मन के साथ-साथ तन को स्वस्थ रख पाते हैं। यह सब सम्भव हुआ महात्मा गांधी नरेगा की ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना से।

● अरुण कुशराम